

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

209-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2025 (AGRAHAYANA 26, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 17th December, 2025

No. 36-HLA of 2025/77/28915.— The Haryana Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 36- HLA of 2025

A

BILL

to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing offences to further enhance trust-based governance for ease of living and the ease of doing business.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2025.

Short title and commencement.

- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 30th October, 2025.
- 2. The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in column (5) thereof.
- 3. The penalties provided under various provisions in the enactments mentioned in the Schedule shall be increased by ten per cent of the minimum amount of penalty provided thereof, after the expiry of every three years from the date of commencement of this Act.

Amendment of certain enactments.

Modification of penalties.

Authority to impose penalty/hear appeal.

4. (1) No penalty shall be imposed by the competent authority in contravention of any provision of the relevant enactment mentioned in the Schedule without following the principles of natural justice of hearing.

Explanation.- For the purposes of this sub-section "competent authority" means such authority as provided in the relevant enactment to be amended under this Act or in case the competent authority is not provided in the enactment then an authority, as may be specified by the Government/State Government, as the case may be.

(2) Any person aggrieved by an order of the competent authority may, within such period, as may be specified from the date of the order, prefer an appeal to the appellate authority, in such manner, as may be specified:

Provided that the appellate authority may entertain an appeal after the expiry of the said specified period, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the stipulated period.

Explanation.- For the purposes of this sub-section "appellate authority" means such authority as may be specified by the Government/State Government, as the case may be.

Recovery of penalty.

Savings.

- 5. The amount of penalty as imposed if not deposited, shall be liable to be recovered as an arrears of land revenue.
- **6.** The amendment or repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the amended or repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or from any enactment hereby amended or repealed;

nor shall the amendment or repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

Repeal and savings.

- 7. (1) The Haryana Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025 (Haryana Ordinance No. 2 of 2025), is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

	SCHEDULE					
Sr. No.	Year	No.	Short title	Amendment		
1	2	3	4	5		
1.	1872	Punjab Act IV	The Haryana Laws Act, 1872	1. For section 42, the following section shall be substituted, namely: "42. Penalty for withholding assistance or conniving or escape If such headman or watchman do not forthwith give such assistance, or if the inhabitants of such village do not afford full opportunity for search in their houses for the offenders, or if, from the circumstances of the case, there shall appear good reasons to believe that the inhabitants of such village, or any of them, were conniving at the offence or at the escape of the offenders, and such offenders cannot be traced beyond the village, the District Magistrate may impose a penalty which may extend to fifty thousand rupees to such inhabitants, who do not forthwith give assistance or to connive or to help in escaping the offender." 2. For section 50B, the following section shall be substituted, namely: "50B. Penalties for breach of rules If any person contravenes the provisions of any rules made by the State Government under this Act, he shall be liable to a penalty which shall not be less than ten thousand rupees but may extend to fifty thousand rupees."		
2.	1883	Punjab Act 20	The Haryana District Boards Act, 1883	For section 57, the following section shall be substituted, namely:- "57. Penalty for infringement of regulations In case of contravention of any regulation made under section 56, a Board may determine that a breach of the same shall be liable for a penalty which may extend to five thousand rupees, and in the case of a continuing breach, with a further penalty of one thousand rupees for every day which may extend up to a maximum limit of twenty thousand rupees during which the breach is continued: Provided that the Deputy Commissioner shall afford an opportunity of hearing to the offender before imposing such penalty."		
3.	1913	Punjab Act 3	The Haryana Forest (Sale of Timber) Act, 1913	For clause (f) of sub-section (1) of section 3, the following clause shall be substituted, namely:- "(f) prescribe a penalty of fifty thousand rupees for the infringement of any rule made under this section. In case the breach is committed after sunset and before sunrise, or after preparation for resistance to lawful authority, or if the offender has been previously convicted of a like offence, the penalty shall be double of the amount of the penalty already imposed. Further, in case of repeated breach, the penalty would be twice of the penalty. The officer to take cognizance and realize penalty would not be less than the rank of Deputy Range Forest Officer.".		
4.	1914	Punjab Act I	The Haryana Excise Act, 1914	For clause (a) of section 65, the following clause shall be substituted, namely: "(a) fails willfully to produce such license, permit or pass on the demand of any excise officer or of any other officer duly empowered to make such demand shall be liable to a penalty which shall not be less		

				than ten thousand rupees but may extend to one lakh rupees." 2. In section 70,- (i) before the words "If an Excise Officer-" the figure and signs "(1)" shall be added; (ii) for the words and signs "he shall be liable to imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees or with both", the words and signs "shall be liable to a penalty which may extend to one lakh rupees, to be imposed by the Excise Commissioner" shall be substituted; (iii) after sub-section (1), the following sub-section shall be added, namely:- "(2) For the purpose of determining penalties, Excise Commissioner may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any documents, which in the opinion of the Excise Commissioner, may be useful for or relevant to the subject matter and if he is satisfied that the officer concerned has contravened the provisions of sub-section (1), he may impose such penalty as he thinks fit: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the concerned excise officer a reasonable opportunity of being heard." 3. After section 70, the following section shall be inserted, namely:- "70A. Appeal (1) Any person aggrieved by an order passed under section 70, may prefer an appeal within a period of sixty days from the date of receipt of such order to the appellate authority, as may be specified: Provided that the appellate authority may entertain an appeal after the expiry of the said period of sixty days, if he is satisfied that the appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order, as it may think fit. (3) An appeal under sub-section (1) shall be disposed of within a period of one hundred and eighty (180) days from the date of filing of appeal."
5.	1938	Punjab Act 3	The Haryana Registration of Money Lender's Act, 1938	For sub-section (3) of section 4, the following sub-section shall be substituted, namely:- "(3) Any money lender who contravenes the provisions of sub-section (2) shall be liable to a penalty of fifty thousand rupees for first violation. In case of subsequent violation, the penalty imposed shall be double of the penalty imposed for first violation.".

6.	1948	East Punjab Act 50	The Haryana Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948	For section 38, the following section shall be substituted, namely:- "38. Penalties If any person willfully destroys, injures, or without lawful authority removes any survey mark, he may be ordered by a Consolidation Officer to pay such penalty, as may in the opinion of that officer be necessary, to defray the expenses of restoring the same and of rewarding the person, if any, who gave information of the destruction, injury, or removal. In addition to the recovery of such expenses, the Consolidation Officer may also impose a penalty which may extend to ten thousand rupees for each survey mark so destroyed, injured, or removed.".
7.	1949	East Punjab Act 1	The Haryana Control of Bricks Supplies Act, 1949	 For section 6, the following section shall be substituted, namely: "6. Penalties If any person contravenes any order made under section 3, he shall be liable to a penalty as may be specified by the competent authority.". In section 9, for the words "he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both", the words "he shall be liable to a penalty as may be specified by the competent authority" shall be substituted. Sections 10, 11 and 12 shall be omitted.
8.	1953	Punjab Act 10	The Haryana Security of Land Tenures Act, 1953	1. For section 11, the following section shall be substituted, namely: "11. Tenant's right to water Save in proportion to a reduction in the tenancy, if any, a land owner shall not be competent to curtail or terminate the supply of canal or use of well water enjoyed by a tenant immediately before the commencement of this Act, and a breach of this provision shall be liable to a penalty of twenty thousand rupees for first violation. In case of subsequent violation, the penalty imposed shall be double of the penalty imposed for first violation." 2. For sub-section (2) of section 14, the following sub-section shall be substituted, namely: "(2) Any landowner who fails to give such receipt shall be liable to a penalty of five thousand rupees.".
9.	1953	Punjab Act 40	The Haryana Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Act, 1953	For section 9, the following section shall be substituted, namely:- "9. Penalties If any person contravenes any of the provisions of this Act or of any rules made thereunder, he shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five thousand rupees but may extend to fifty thousand rupees for the first violation, one lakh rupees for the subsequent violation and in case the violation still continues then the licence shall be suspended for a maximum period of one year."
10.	1958	Punjab Act 2	The Haryana Warehouses Act, 1957	For section 32, the following section shall be substituted, namely:- "32. Penalty and procedure (1) Whoever- (a) acts or holds himself out, as a licensed warehouseman without having obtained a license under this Act; or

				(b) knowingly contravenes or fails to comply with any of the provisions or requirements of this Act or the rules made thereunder, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees. (2) Where a person contravenes the provisions of sub-section (1) is a company or an association or a body of persons whether incorporated or not, the manager, secretary, agent or other principal officer, managing the affairs of such company, association or body shall be deemed to have contravened the provisions of sub-section
11.	1963	Punjab Act 23	The Haryana Land Improvement Schemes Act, 1963	(1).". For section 20, the following section shall be substituted, namely:- "20 Penalties Any person, who does any act which causes damage to any of the works carried out or maintained under any scheme which has come into force under section 11, shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five thousand rupees but may extend to fifty thousand rupees. In case he fails to pay the penalty shall be debarred from getting the benefits of departmental schemes for a period of two years."
12.	1971	20	The Haryana Housing Board Act, 1971	1. For section 76, the following section shall be substituted, namely: "76. Penalty for contravention of bye-laws Whosoever contravenes any bye-law made under section 75 shall be liable for a penalty which may extend to fifty thousand rupees." 2. In section 77, for the words and signs "he shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to five hundred rupees or with both", the words "he shall be liable to a penalty of fifty thousand rupees" shall be substituted.
13.	1972	24	The Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1972	For section 11, the following section shall be substituted, namely:- "11. Penalties (1) If any person who has been evicted from any public premises under this Act again occupies the premises without authority for such occupation, he shall be liable to a penalty of one lakh rupees and for each repeated occupation, the penalty imposed shall be double of the penalty imposed for first violation. (2) The competent authority imposing a penalty on a person under sub-section (1) shall make an order for evicting that person summarily and he shall be liable to such eviction without prejudice to any other action that may be taken against him under this Act."
14.	1972	26	The Haryana Ceiling on Land Holding Act, 1972	For section 21, the following section shall be substituted, namely:- "21. Penalties for making false statement (1) If any person fails to furnish a declaration as required by section 9, or during the course of any proceedings under this Act makes a declaration or statement or furnishes any information which is false, or which he knows or has reason to believe to be false, or which he does not believe to be true, shall be liable to a penalty of fifty thousand rupees.

15.	1973	35	The Haryana Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1973	(2) If any person secures an allotment by furnishing information which is false or which he knows or has reason to believe to be false or which he does not believe to be true shall be liable to a penalty of fifty thousand rupees: Provided that the imposition of a penalty under this section shall not be a bar for prosecution under the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023) or any other law for time being in force.". In section 23, for the words "shall be punishable with a fine which may extend to one thousand rupees", the words "shall be liable to a penalty which may extend to one thousand rupees" shall be substituted.
16.	1973	24	The Haryana Municipal Act, 1973	1. In sub-section (2) of section 86, for the words "punishable with a fine", the words "liable to a penalty" shall be substituted. 2. For sub-section (5) of section 87, the following sub-section shall be substituted, namely: "(5) Whoever contravenes the provisions of sub-sections (1) and (3) shall in addition to any other penalty which he incurs through such neglect, be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five rupees but may extend to two hundred rupees, and in the case of a continuing breach, with a further penalty of ten rupees for every day during which the breach continues." 3. For sub-section (2) of section 127, the following sub-section shall be substituted, namely: "(2) If any person fails within six months from the date of its service to comply with a prohibitory notice issued under sub-section (1), he shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five rupees but may extend to two hundred rupees and with a further penalty of ten rupees for every day during which the breach continues." 4. For sub-section (2) of section 141, the following sub-section shall be substituted, namely: "(2) Any person acting in contravention of the terms of sub-section (1) shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees", the words and sign "shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees", the words and sign "shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five rupees but may extend to two hundred rupees" shall be substituted. 6. For section 150, the following section shall be substituted, namely: "150. Keeping of animals so as to be injurious to health Whoever keeps any swine or other animal in disregard of any orders which the committee may give to prevent them from becoming a nuisance, or so as to be injurious to the health of the inhabitants or of animals shall be liable to a penalty of five hundred rupees and for every such subsequent

- 7. In section 158, for the words "shall be punishable with a fine which shall not be less than one thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of one hundred rupees for everyday during which offence is continued", the words "shall be liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but may extend to five thousand rupees and with a further penalty of one hundred rupees for everyday during which offence is continued" shall be substituted.
- 8. In section 159, for the words and sign "shall, on conviction by a Magistrate of the first or second class be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees", the words and sign "shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five rupees but may extend to two hundred rupees" shall be substituted.
- 9. In section 160, for the words and sign "shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees", the words and sign "shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five rupees but may extend to two hundred rupees" shall be substituted.
- 10. For sub-section (3) of section 164, the following sub-section shall be substituted, namely:-
- "(3) Whoever contravenes the provisions of this section, shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five rupees but may extend to two hundred rupees.".
- 11. In section 189, for the words and sign "shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees", the words and sign "shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five rupees but may extend to two hundred rupees" shall be substituted.
- 12. In section 190,-
 - (i) in sub-section (1), for the words and sign "shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees", the words and sign "shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five rupees but may extend to two hundred rupees" shall be substituted;
 - (ii) sub-section (2) shall be omitted.
- 13. In sub-section (2) of section 191, for the words and sign "shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees", the words and sign "shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five rupees but may extend to two hundred rupees" shall be substituted.
- 14. In sub-section (1) of section 194, for the words and sign "shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees", the words and sign "shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five rupees but may extend to two hundred rupees" shall be substituted.

		1		15 In section 105
				15. In section 195,- (i) in sub-section (1), for the words and sign "shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees", the words and sign "shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five rupees but may extend to two hundred rupees" shall be substituted; (ii) in sub-section (2), for the words and sign "shall be liable to a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees", the words and sign "shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five rupees but may extend to two hundred rupees" shall be substituted. 16. In section 196, for the words and sign "shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees", the words and sign "shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five rupees but may extend to two hundred rupees" shall be substituted. 17. In section 198, for the words and sign "shall be punishable with a fine which shall not be less than twenty-five rupees and more than two hundred rupees", the words and sign "shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five rupees but may extend to two hundred rupees" shall be substituted. 18. For section 214, the following section shall be substituted, namely: "214. Penalty for infringement of bye-laws In making any bye-law under any section of this Chapter, the State Government may direct that a breach or an abetment of a breach shall be liable to a penalty which shall not be less than three hundred rupees but may extend to two thousand rupees, and when the breach is a continuing breach, with a further penalty of ten rupees for every day during which the breach continues: Provided that a breach or an abetment of a breach under clause (xx) of section 200 shall be liable to a penalty which shall not be less than two thousand five hundred rupees but may extend to five thousand rupees: Provided further that a breach or an abe
				a penalty which shall not be less than one lakh rupees but may extend to two lakh rupees, and in the case of a continuing breach, with a further penalty of two thousand
17	1074	24	The Harrison	rupees for everyday during which the breach continues.".
17.	1974	24	The Haryana Anatomy Act, 1974	1. For section 6, the following section shall be substituted, namely:- "6. Penalties Whoever with the intention of defeating the provisions of this Act, disposes of, or abets the disposal of, an unclaimed body save as permitted by this Act, or obstructs any authority in-charge of an approved institution or an authorized officer from handing over,
				taking possession of, removing or using, such dead body

				for the purpose specified in this Act, shall be liable to a
				penalty which may extend to two lakh rupees in case of first
				contravention and may extend to five lakh rupees in case of subsequent contravention.".
				2. After section 6, the following sections shall be
				inserted, namely:-
				"6A. Adjudication (1) The State Government for
				the purpose of imposing the penalties, may authorize the Sub Divisional Magistrate, having jurisdiction, to be the
				adjudicating officer, to hold an inquiry and impose penalty.
				(2) The adjudicating officer may summon and
				enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or
				produce any document, which in the opinion of
				adjudicating officer may be useful for, or relevant to the
				subject matter of the inquiry, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply
				with provisions of section 6, may impose penalty:
				Provided that no such penalty shall be imposed
				without giving the person concerned reasonable opportunity of being heard.
				6B. Appeal Whoever aggrieved by the order,
				passed by the adjudicating officer under section 6A, may
				prefer an appeal within sixty days from the date of receipt of order to the Deputy Commissioner, having jurisdiction,
				to be an appellate authority, specially authorized by the
				State Government or administration in this behalf:
				Provided that the appellate authority may entertain an appeal after the expiry of the said specified period, if he
				is satisfied that the appellant was prevented by sufficient
				cause from filing the appeal within the stipulated period.
				(2) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order,
				as he may think fit.
				(3) An appeal under sub-section (1) shall be disposed of
10	1074	20	The Herman Canal	within sixty days from the date of filling of such appeal.".
18.	1974	29	The Haryana Canal and Drainage Act,	In section 58, for the words and signs, "shall, in respect of offences under clauses (a), (b), (c), (g) and (k) above, be
			1974	liable on conviction to a fine not exceeding one thousand
				rupees or to imprisonment not exceeding six months or both and in case of continuing offence/contravention, with
				an additional fine which may extend to five hundred rupees
				for every subsequent day. In respect of other offences, the
				offender shall be liable on conviction to a fine not exceeding one thousand rupees or imprisonment not
				exceeding one mouth, or both", the words and signs "shall,
				in respect of contraventions under clauses (a), (b), (c), (g)
				and (k) above, be liable to a penalty not exceeding one lakh rupees with an additional penalty which may extend to five
				thousand rupees for every subsequent day in case of
				continuing contravention. In respect of other
				contraventions under clauses (d), (e), (f), (h), (i) and (j), he shall be liable to a penalty not exceeding twenty-five
				thousand rupees" shall be substituted.

19.	1975	8	The Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975	For sub-section (1) of section 10, the following sub-section shall be substituted, namely:- "10. Penalties (1) Any person who contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder or any of the conditions of a licence granted under section 3, shall be liable to pay the penalty as may be specified: Provided that any person who contravenes the provisions of section 7 of the Act shall be punishable with imprisonment of either description for a term, which may extend upto one year and shall also be liable to pay fine, which may extend upto the double of the collector rate, but not less than half of the collector rate on the land applicable to which the contravention has been made."
20.	1975	9	The Haryana Requisitioning and Acquisition of Movable Property Act, 1975	In section 16 for the words "shall be punishable with an imprisonment which may extend to one year or with fine or with both", the words "shall be liable to a penalty which may extend to one thousand rupees" shall be substituted.
21.	1983	10	The Haryana Apartment Ownership Act, 1983	For section 24A, the following section shall be substituted, namely:- "24A Penalties (1) Any owner of property/building who does not file declaration within the period specified under section 2, shall be liable to pay a penalty not less than ten lakh rupees but may extend upto fifty lakh rupees. (2) If the owner of the property/building fails to pay the penalty as imposed under sub-section (1) within a specified period but not exceeding six months, the Director or authorized officer may take such measure as may appear necessary and in default thereof the owner of property/building shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to one year and shall also be liable to a fine of not less than fifty lakh rupees and ten thousand rupees for each day of continuing offence."
22.	1984	22	The Haryana Co-Operative Societies Act, 1984	1. In section 117,- (i) in sub-section (2), for the words "punishable with fine which may extend to five thousand rupees", the words "liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees" shall be substituted; (ii) For sub-sections (3), (4), (5), (6), (7) and (8), the following sub-sections shall be substituted, namely:- "(3) A co-operative society or any officer or a member thereof making a false return or furnishing false information, or any person who willfully or without any reasonable excuse disobeys any summons, requisition or lawful written order issued under this Act, or fails to furnish information required by an authorized person, shall be liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees to be imposed by the Registrar or any officer authorized by him. (4) Any employer or officer or agent

acting on behalf of such employer who, without sufficient cause, fails to deposit with a co-operative society, the amount deducted by him under section 45 within fourteen days from the date of deduction shall, without prejudice to any action that may be taken against him under any law for the time being in force, be liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees.

- (5) Any officer or custodian who willfully fails to produce or hand over custody of books, record, cash, security and other property belonging to a co-operative society, to a person entitled under sections 50, 51, 95, 97, 98, 99 and 106, shall be liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees or deduction of his one month salary whichever is higher and in case of a continuing breach beyond six months with a further penalty which may extend to one hundred rupees for every day during which the breach is continued after imposing penalty for the first such breach.
- (6) Any person who fraudulently acquires or abets in the acquisition of any property which is subject to a charge under section 52 and 53 shall be liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees.
- (7) Any person who transfers the property which is subject to a charge of the society with an intent to evade its sale or attachment, shall be liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees.
- (8) Any person being a member of the managing committee who, without sufficient cause, fails to get the accounts audited in accordance with the provisions of section 95 shall be liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees;";
- (iii) For sub-section (16), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(16) Any person who knowingly gives a false certificate, in whatever form, showing that a person is or is not a defaulter or an active member, shall be liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees.";
- (iv) For sub-section (18), the following subsection shall be substituted, namely:-

"(18) If any person willfully or without reasonable cause fails to provide information as required under sub-section (2) of section 120 within the prescribed period, he shall be liable to a penalty of one thousand rupees per day, which may extend to thirty thousand rupees in total.

Explanation.- The penalties under subsections (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (16)

				and (18) shall be recoverable as arrears of
				land revenue and shall be appealable before
				the Government under section 117A.";
				(v) For sub-section (20), the following sub-
				section shall be substituted, namely:-
				"(20) The contraventions specified under
				sub-sections (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (16)
				and (18) shall be compoundable and
				adjudicable by the Registrar or any officer authorized by him.".
				2. After section 117, the following section shall be
				inserted, namely:-
				"117A. Appeal (1) Any person aggrieved by an
				order passed under sub-sections (2), (3), (4), (5), (6), (7),
				(8), (16) and (18) of section 117 may, within sixty days
				from the date of such order, prefer an appeal to the Government.
				(2) The Government may, after giving the appellant an
				opportunity of being heard, confirm, modify or set aside
				the order appealed against and its decision shall be final.".
23.	1991	14	The Haryana Shri	1. In section 33, for the words "he shall be
			Mata Mansa Devi	punishable with fine which may extend to one thousand
			Shrine Act, 1991	rupees or in default with imprisonment for a term which
				may extend to one month", the words "he shall be liable to
				a penalty which may extend to ten thousand rupees for each
				such refusal or failure" shall be substituted.
				2. In section 34, for the words and signs "shall be
				punishable with imprisonment for a term which may extend
				to one year, or with fine, or with both", the words "shall be liable to a penalty which may extend to fifty thousand
				rupees" shall be substituted.
24.	1992	10	The Haryana Shri	1. In sub-section (4) of section 26, for the words "to
2	1772	10	Mata Sheetla Devi	be detained in civil prison for a term not exceeding one
			Shrine Act, 1991	year" the words "to pay a penalty which may extend to fifty
			,	thousand rupees" shall be substituted.
				2. In section 33, for the words "he shall be
				punishable with fine which may extend to one thousand
				rupees or in default with imprisonment for a term which
				may extend to one month", the words "he shall be liable to
				a penalty which may extend to ten thousand rupees for each such refusal or failure" shall be substituted.
				3. For clause (c) of section 34, the following clause
				shall be substituted, namely:-
				"(c) wrongfully removes, destroys or mutilates
				property, documents or books of accounts of
				the Shrine,
				shall be liable to a penalty which may extend to fifty
				thousand rupees.".
25.	1992	15	The Haryana	1. For section 12, the following section shall be
			Regulation and	substituted, namely:-
			Control of Crushers	"12. Penalties Whoever contravenes any of the
			Act, 1991	provisions of section 3 of this Act shall be liable to a
				penalty which shall not be less than two lakh rupees but may extend to four lakh rupees.".
				2. Section 13 shall be omitted.
				2. Section 13 shall be offitted.

26.	1993	16	The Haryana Cotton Ginning and Pressing Factories Act, 1992	1. For section 5, the following section shall be substituted, namely:- "5. Prohibition of admixture of cotton in specified areas and penalties therefor (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, prohibit, in any area specified in the notification, any admixture of cotton which is ginned or pressed in a cotton ginning or cotton pressing factory. (2) In any area specified in the notification under sub-section (1), if- (a) any owner of a cotton ginning or cotton pressing factory gins or presses or allows to be ginned or pressed any cotton which he knows or has reason to believe to contain an admixture of cotton; or (b) any person makes any admixture of cotton, or abets or knowingly allows or connives at such admixture of cotton, or abets or knowingly allows or connives at such admixture of cotton pressing factory, he shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five thousand rupees but may extend to fifty thousand rupees for the first violation, one lakh rupees for the subsequent violation and in case the violation still continues then the licence shall be suspended for a minimum period of two years." 2. For section 6, the following section shall be substituted, namely:- "6. Penalty for watering, etc (1) Any owner of a cotton ginning or cotton pressing factory who knowingly or having reason to believe that any cotton is watered or contains seed in excess of the prescribed proportion or contains any foreign substance or cotton waste, gins or presses or allows such cotton to be ginned or pressed in such factory shall be liable to a penalty which shall not be less than twenty-five thousand rupees but may extend to fifty thousand rupees for the first violation, one lakh rupees for the subsequent violation and in case the violation still continues then the licence shall be suspended for a minimum period of two years. (2) Any person who knowingly waters or wets any cotton or mixes seed or foreign substance or cotton waste with any cotton or abets or knowingly a
27.	1994	16	The Haryana	for a minimum period of two years.". For section 380, the following section shall be substituted,
			Municipal Corporation Act, 1994	namely:- "380. Punishment or penalties for certain offences (1) Whoever –

				(a) contravenes any provisions of this
				(a) contravenes any provisions of this Act mentioned in the first column of the Table (i) or Table (ii) in the Third Schedule as annexed with this Act as Annexure A; or
				(b) fails to comply with any order lawfully given to him or any
				requisition lawfully made upon him under any of the said sections, sub-
				sections, clauses, provisos or other provisions shall be-
				(i) punishable with fine which may extend to the amount,
				specified in the third column of the Table (i) of the Third
				Schedule; and in the case of a continuing contravention or
				failure, with an additional fine which may extend to the
				amount specified in the fourth column of Table (i) for
				everyday during which such contravention or failure
				continues after conviction for the first such contravention or
				failure; or (ii) liable to pay a penalty which
				may extend to the amount, specified in the third column of
				the Table (ii) of the Third Schedule; and in the case of a
				continuing contravention or failure; with an additional
				penalty which may extend to the amount specified in the
				fourth column of Table (ii) for everyday during which such
				contravention or failure continues.".
				(2) For the existing Third Schedule, the Third Schedule as annexed as Annexure A with this Act shall be
28.	1996	9	The Haryana	substituted.". In sub-section (1) of section 10, for the words and signs
26.	1990	,	Mechanical Vehicles	"shall on conviction be liable to a fine of one thousand
			(Levy of Tolls) Act, 1996	rupees, which may extend to five thousand rupees and in default, sentenced to simple imprisonment for a term not
				exceeding six months", the words "shall be liable to a penalty of not less than ten thousand rupees but may extend
29.	2001	6	The Haryana Murrah	to one lakh rupees" shall be substituted. For section 11, the following section shall be substituted,
			Buffalo and other Milch Animal Breed	namely:- "11. Penalties Any person who commits or abets the
			(Preservation and Development of	commission of an act in violation of the provisions contained in section 10 shall be liable to a penalty of twenty
			Animal Husbandry and Diary	thousand rupees to be imposed by the Deputy Director,
			Development Sector) Act, 2001	Animal Husbandry and Dairying Department of the concerned district or by any other competent authority as may be specified. In the event of a second or subsequent
L	ı		· -	10 specifies. In the event of a second of subsequent

				contravention the margon shall be light to a second of the
				contravention, the person shall be liable to a penalty of one lakh rupees.
				(2) Any person aggrieved by the imposition of a penalty may prefer an appeal within fifteen days from the date of imposition of such penalty. The Director General, Animal Husbandry and Dairying Department shall be the appellate authority for this purpose. The appellate authority may delegate its power to hear the appeal to any officer of the department not below the rank of Joint Director. The appeal shall be decided by the appellate authority within thirty days, after affording the appellant an opportunity of being heard."
30.	2003	6	The Haryana Value Added Tax Act, 2003	1. For sub-section (2) of section 53, the following sub-section shall be substituted, namely:-
				"(2) Save as provided in sub-section (3), if any officer of the State Government discloses any of the particulars referred to in sub-section (1), he shall be liable to a penalty which may extend to one lakh rupees to be imposed by the Commissioner. Explanation For the purposes of this sub-section, the Commissioner may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any documents, which in the opinion of the Commissioner, may be useful for or relevant to the subject matter and if he is satisfied that the officer concerned has contravened the provisions of sub-section (1), he may impose such penalty, as he thinks fit: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the officer concerned a reasonable opportunity of being heard." 2. After section 53, the following section shall be inserted, namely:- "53A. Appeal (1) Any person aggrieved by an order passed under sub-section (2) of section 53, may prefer an appeal within a period of sixty days from the date of receipt of such order to the appellate authority, as may be specified:
				Provided that the appellate authority may entertain an appeal after the expiry of the said period of sixty days, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the stipulated period.
				(2) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order, as he may think fit.
				(3) An appeal under sub-section (1), shall be disposed of within a period of one hundred and eighty (180) days from the date of filing of appeal.".
31.	2008	7	The Haryana Evacuee Properties (Management and Disposal) Act, 2008	For section 13, the following section shall be substituted, namely:- "13. Penalties Any person who furnishes false, wrong or incorrect information, document or evidence in
				any manner whatsoever to any officer appointed under this Act, shall be liable to a penalty which shall not be less than

				twenty thousand rupees but may extend to fifty thousand
				rupees: Provided that the imposition of a penalty under this section shall not be a bar for prosecution under the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023) or any other law for time being in force."
32.	2008	31	The Haryana Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2008	For section 16, the following section shall be substituted, namely:- "16. Penalties (1) Whoever willfully obstructs any person in doing any of the acts authorized under sections 5, 6 or 7 or willfully fills up, destroys, damages or displaces any trench or mark made under section 5 or willfully does anything prohibited under the proviso to subsection (1) of section 8, shall be liable for a penalty of fifty thousand rupees and in case of subsequent violation, the penalty imposed shall be double of the penalty imposed for the first violation. (2) Whoever willfully removes, displaces, damages or destroys any underground pipeline laid, may be liable to pay the assessed amount of damage alongwith a penalty of ten thousand rupees and in case of subsequent violation, the penalty imposed shall be double of the penalty imposed for the first violation."
33.	2008	38	The Haryana Regulation of Property Dealers and Consultants Act, 2008	For section 17, the following section shall be substituted, namely:- "17. Penalties (1) Any person who contravenes any provisions of this Act or any rules made thereunder, shall be liable to a penalty of fifty thousand rupees and in case of subsequent violation, the penalty imposed shall be double of the penalty imposed for the first violation. (2) Any person or company or society found indulging in the property dealing or property consulting business, without having a valid license under this Act, shall be liable to a penalty of fifty thousand rupees in case of an individual or one lakh rupees in case of a society, company or any organization and shall also be liable to pay all the benefits so received and the damages suffered by the affected party while dealing with the property for which commission has been paid by any party to the deal. In case of subsequent violation, the penalty imposed shall be double of the penalty imposed for the first violation.".
34.	2008	26	Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak Act, 2008	1. For sub-section (2) of section 5, the following subsection shall be substituted, namely:- "(2) The contravention of the provisions of subsection (1), shall be liable to a penalty which may extend to two lakh rupees and in case of subsequent contravention may extend to five lakh rupees as per the regulations laid down in this regard keeping in view the orders and guidelines issued by the competent authorities and academic bodies such as the Government and the University Grants Commission.". 2. After section 5, the following sections shall be inserted, namely:- "5A. Adjudication (1) The Government may for the purpose of determining the penalties may authorize Deputy Commissioner, having jurisdiction, to be the

35.	2009	6	The Haryana Preservation of Sub-Soil Water Act, 2009	adjudicating officer to hold an inquiry and impose penalty, in the manner as may be specified. (2) The Adjudicating Officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances to give evidence or produce any document, which in the opinion of adjudicating officer may be useful for, or relevant to the subject matter of the inquiry, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with provisions of section 6, he may impose penalty: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard. 5B. Appeal Whoever aggrieved by the order passed by the Adjudicating Officer under section 5A may prefer an appeal to the Divisional Commissioner, having jurisdiction to be an appellate authority specially authorized by the Government or administration in this behalf, within sixty days from the date of receipt of order, in such form and manner as may be specified. (2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (3) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order, as he may think fit. (4) An appeal under sub-section (1), shall be disposed of within the period of sixty days from the date of filing of appeal." For section 7, the following section shall be substituted, namely:- "Penalties(1) Any farmer, who contravenes any of the provisions of this Act, shall be liable to a penalty of twenty-five thousand rupees for every month or part thereof per hectare of land. In case the farmer fails to pay the penalty, he shall be debarred from getting the benefits of departmental schemes for a period of two years.
35.	2009	6	Preservation of Sub-Soil Water	For section 7, the following section shall be substituted, namely:- "Penalties(1) Any farmer, who contravenes any of the provisions of this Act, shall be liable to a penalty of twenty-five thousand rupees for every month or part thereof per hectare of land. In case the farmer fails to pay the penalty, he shall be debarred from getting the benefits of
				penalty under sub-section (1), the authorized officer shall make such enquiry, as he may deem necessary and shall give an opportunity of being heard to the concerned farmer."
36.	2010	12	The Haryana Shri Kapal Mochan, Shri Badri Narain, Shri Mantra Devi and Shri Kedar Nath Shrine Act, 2009	1. For clause (b) of section 33, the following clause shall be substituted, namely:- "(b) refuses, or willfully fails to furnish any reports, statements, accounts or other information called for under this Act, shall be liable to a penalty which may extend to ten thousand rupees for each such refusal or failure.". 2. For clause (c) of section 34, the following clause shall be substituted, namely:-

	HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), DEC. 17, 2025 (AGHN. 26, 1947 SAKA) 3599				
				"(c) wrongfully removes, destroys or mutilates property, documents or books of accounts of the Shrine,	
				shall be liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees.".	
37.	2014	6	The Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2014	1. In section 36,- (i) in sub-section (2), for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted; (ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:- "(3) Any person who continues to run a clinical establishment after the order of closure under sub-section (2), shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees." 2. In section 37,- (i) in sub-section (2), for the words "shall be punished with fine", the words "shall be liable to a penalty" shall be substituted; (ii) in sub-section (3), for the words "shall be punished with fine", the words "shall be liable to a penalty" shall be substituted; (iii) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:- "(4) Whoever being required by or under this Act to supply any information, willfully withholds such information or gives information which he knows to be false or which he does not believe to be true, shall be liable to a penalty which may extend to two lakh rupees."; (iv) in sub-section (5), for the words "any fine", the words "a penalty" shall be substituted; (v) in sub-section (7), for the words "punished with fine", the words "liable to	
38.	2016	27	Pandit Deen Dayal Upadhaya of University of Health Sciences, Karnal Act, 2016	a penalty" shall be substituted. 1. For sub-section (2) of section 5, the following subsection shall be substituted, namely:- "(2) The contravention of the provisions of subsection (1) shall be liable to a penalty which may extend to two lakh rupees and in case of subsequent contravention may extend to five lakh rupees as per the regulations laid down in this regard keeping in view the orders and guidelines issued by the competent authorities and academic bodies such as the Government and the University Grants Commission.". 2. After section 5, the following sections shall be inserted, namely:- "5A. Adjudication (1) The Government may for the purpose of determining the penalties may authorize Deputy Commissioner, having jurisdiction, to be the adjudicating officer to hold an inquiry and impose penalty, in the manner as may be specified. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances to give evidence or produce any	

				document, which in the opinion of adjudicating officer may be useful for, or relevant to the subject matter of the inquiry, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with provisions of section 6, he may impose penalty: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard. 5B. Appeal Whoever aggrieved by the order passed by the Adjudicating Officer under section 5A may prefer an appeal to the Divisional Commissioner, having jurisdiction to be an appellate authority specially authorized by the Government or administration in this behalf, within sixty days from the date of receipt of order, in such form and manner as may be specified. (2) An appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. (3) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order, as he may think fit. (4) An appeal under sub-section (1) shall be
				disposed of within the period of sixty days from the date of filing of appeal.".
39.	2017	3	The Haryana Nurses and Nurse-Midwives Act, 2017	1. For sub-section (2) of section 32, the following sub-section shall be substituted, namely: "(2) Whosoever contravenes the provisions of sub-section (1), shall be liable to a penalty which may extend to two lakh rupees.". 2. After section 32, the following sections shall be inserted, namely: "32A. Adjudication (1) The Government for the purpose of imposing the penalties, may authorize the Sub Divisional Magistrate, having jurisdiction, to be the adjudicating officer to hold an inquiry and impose penalty. (2) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or produce any document, which in the opinion of adjudicating officer may be useful for, or relevant to the subject matter of the inquiry, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has failed to comply with the provisions of section 32, may impose penalty: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned reasonable opportunity of being heard. 32B. Appeal Whoever aggrieved by the order, passed by the adjudicating officer under section 32A, may prefer an appeal to the Deputy Commissioner, having jurisdiction, to be an appellate authority, specially authorized by the Government or administration in this behalf, within sixty days from the date of receipt of order: Provided that the appellate authority may entertain an appeal after the expiry of the said specified period, if he

				is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the stipulated period. (2) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order, as he may think fit. (3) An appeal under sub-section (1) shall be disposed of within sixty days from the date of filing of such appeal.".
40.	2019	17	The Haryana Animal (Registration, Certification and Breeding) Act, 2019	1. For section 26, the following section shall be substituted, namely: "26. Penalties for contravention of section 16 and 17(1) Any person who acts or abets the commission of an act in contravention of the provisions contained in section 16 and section 17 shall be liable to a penalty of twenty thousand rupees to be imposed by the Deputy Director, Animal Husbandry and Dairying Department of the concerned district or by any other competent authority as may be specified. In the event of a second or subsequent contravention, he shall be liable to a penalty of one lakh rupees. (2) Any person aggrieved by the imposition of a penalty may prefer an appeal within fifteen days from the date of imposition of such penalty. The Director General, Animal Husbandry and Dairying Department shall be the appellate authority for this purpose. The appellate authority may delegate its power to hear the appeal to any officer of the department not below the rank of Joint Director. The appeal shall be decided by the appellate authority within thirty days, after affording the appellant an opportunity of being heard." 2. For section 27, the following section shall be substituted, namely: "27. Penalties (1) Any person who acts or abets the commission of an act in violation of the provisions contained in sections other than section 16 and section 17, shall be liable to a penalty of one lakh rupees to be imposed by the Deputy Director, Animal Husbandry and Dairying Department of the concerned district or by any other competent authority as may be specified. In the event of a second or subsequent contravention, the person shall be liable to a penalty of two lakh rupees. (2) Any person aggrieved by the imposition of a penalty may prefer an appeal within fifteen days from the date of imposition of such penalty. The Director General, Animal Husbandry and Dairying Department shall be the appellate authority for this purpose. The appellate authority may delegate its power to hear the appeal to any officer of the department not below the
41.	2022	14	The Haryana Fire and Emergency Services Act, 2022	1. For section 25, the following section shall be substituted, namely:- "25. Penalties for violation of section 12 Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) of section 12, without prejudice to any other action taken against him under this Act shall be liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees to be imposed by the

				Director or any officer authorized by him in this behalf. In case of subsequent violation, the penalty imposed shall be double of the penalty imposed for first violation.". 2. For section 29, the following section shall be substituted, namely: "29. False reportAny person who knowingly gives or causes to be given a false report of the outbreak of a fire to any person authorized to receive such report by means of a statement, message or otherwise shall be liable to a penalty which may extend to ten thousand rupees to be imposed by the Director or any officer authorized by him in this behalf. In case of subsequent violation, the penalty imposed shall be double of the penalty imposed for first violation."
42.	2024	12	The Haryana Registration and Regulation of Private Coaching Institutes Act, 2024	For section 10, the following sections shall be substituted, namely:- "10. Penalty In case of violation of any of the provisions of this Act or the rules made or guidelines issued under this Act, a private coaching institute shall be liable for each such violation with a penalty of twenty-five thousand rupees for the first violation, one lakh rupees for the subsequent violation and in case the violation still continues then the registration of private coaching institute shall be cancelled. 10A. Competent authority and appellate authority The Authority constituted under section 3 of this Act shall be the competent authority to impose penalty under section 10 after giving a reasonable opportunity of being heard to an institute and an appeal against such order of the competent authority may be filed within thirty days of such order to the appellate authority constituted under section 8 of this Act.".

Annexure A

THIRD SCHEDULE

(see section 380)

Table (i)

Sr. No.	Section, Sub-section, clause or proviso of HMC Act, 1994	Subject	Fine or imprisonment which may be imposed	Daily fine which may be imposed	
	1	2	3	4	
			Rs.	Rs.	
1.	Section 188	Refusal of admittance, etc.	500		
2.	Section 191, sub-section (1)	Laying of water pipes, etc. in a position where the same may be injured or water therein polluted	500	50	
3.	Section 195	Injury to, or interference with flow of contents of Municipal drain or drains communicating with Municipal drain	500	50	
4.	Section 197	Non-compliance with requisition for drainage of undrained premises	500	50	
5.	Section 198	Erection of new premises without drains	1,000	100	
6.	Section 199	Non-compliance with requisition of maintenance of drainage works for any group or block of premises	500	50	
7.	Section 200	Non-compliance with direction to close or limit the use of private drains in certain cases	500	50	
8.	Section 201	Non-compliance with Commissioner's order regarding the use of a drain by a person other than the owner thereof	500		
9.	Section 202	Non-compliance with requisition for keeping sewage and rain water drains distinct	500		
10.	Section 203	Non-compliance with requisition for the pavement of courtyard, etc.	500		
11.	Section 208, sub-section (4)	Non-compliance with requisition to close, remove or divert a pipe or drain	500	50	
12.	Section 215	Prohibition of willful or neglectful acts relating to water or sewage works	500		
13.	Section 223, sub-section (3)	Construction of building within the regular line of street without permission	2,000	200	
14.	Section 228	Failure to comply with requisition to set forward building to regular line of street	500	50	
15.	Section 235, sub-section (1)	Prohibition of projections upon street, etc.	Imprisonment for one month or Rs. 1,000 or both	100	

Sr. No.	Section, Sub-section, clause or proviso of HMC Act, 1994	Subject	Fine or imprisonment which may be imposed	Daily fine which may be imposed
	1	2	3	4
			Rs.	Rs.
16.	Section 235, sub-section (2)	Failure to comply with requisition to remove projections from street	500	50
17.	Section 236, sub-section (2)	Failure to comply with requisition to remove a verandah, balcony, etc. put out in accordance with section 236 (1)	500	50
18.	Section 237	Failure to comply with requisition to have ground floor doors, etc. so altered as not to open outwards	1,000	50
19.	Section 246, sub-section (1)	Failure to comply with requisition to repair, project or enclose a dangerous place	500	50
20.	Section 257	Failure to comply with requisition to round of buildings at corners of streets	500	50
21.	Section 258, sub-section (2)	Erection of buildings or execution of work, within regular line of street or in contravention of any scheme for plan	1,000	
22.	Section 261	Failure to demolish buildings erected without sanction or erection of buildings in contravention of order	2,000	200
23.	Section 262	Erection of buildings in contravention of conditions of sanction, etc.	2,000	200
24.	Section 263	Failure to carry out alterations	2,000	
25.	Section 264, subsections (1) and (2)	Non-compliance with revision as to completion certificates, occupation or use, etc.	500	50
26.	Section 265, sub-section (1)	Non-compliance with restrictions on user of buildings	1,000	100
27.	Section 265, subsections (2) and (3)	Failure to comply with requisition and to remove structures which are in ruins or likely to fall	2,000	200
28.	Section 266, sub-section (1)	Failure to comply with requisition to vacate buildings in dangerous conditions, etc.	1,000	100
29.	Section 281, sub-section (2)	Failure to comply with requisition for removal of congested buildings	1,000	100
30.	Section 282	Failure to comply with requisition to improve buildings unfit for human habitation	1,000	
31.	Section 284, subsections (1), (2), (3) and (4)	Failure to comply with order of demolition of buildings unfit for human habitation	2,000	200
32.	Section 289	Failure to comply with requisition to cleanse and disinfect buildings or articles	500	

Sr. No.	Section, Sub-section, clause or proviso of HMC Act, 1994	Subject	Fine or imprisonment which may be imposed	Daily fine which may be imposed	
	1	2	3	4	
			Rs.	Rs.	
33.	Section 302	Removal of infectious corpses in contravention of the provisions of the section	500		
34.	Section 305	Use of new burning or burial ground without permission	500		
35.	Section 306, sub-section (1)	Failure to comply with requisition to close a burning or burial grounds	500		
36.	Section 306, sub-section (2)	Burning or burial of corpses in a burial ground after it has been closed	500		
37.	Section 307	Removal of corpses by other than prescribed routes	500		
38.	Section 309, subsections (1), (2) and (3)	Commission of nuisances	500		
39.	Section 310	Failure to comply with requisition for removal or abatement of nuisance	500	50	
40.	Section 311, sub-section (4)	Dogs not to be at large in a street without being secured by a chain lead	500		
41.	Section 311, sub-section (5)	Ferocious dogs at large without being muzzled, etc.	500		
42.	Section 312	Stacking inflammable material in contravention of prohibition	5,000		
43.	Section 314	Discharging fire-works, fire arms, etc. likely to cause danger	500		
44.	Section 315	Failure to comply with requisition to render buildings, wells etc., safe	500		
45.	Section 316	Failure to comply with requisition to enclose land use for improper purposes	500		
46.	Section 322, sub-section (1)	Use of places as private market without a license and use of places other than a municipal slaughter house as slaughter houses.	500	50	
47.	Section 322, sub-section (2) Proviso (a)	Non-compliance with conditions imposed by Commissioner	500		
48.	Section 329	Carrying on butcher, fish -monger's or poulterer's trade without licence, etc.	500	50	
49.	Section 331	Certain things not to be kept and certain trades and operations not to be carried on without a licence	500	100	
50.	Section 333 sub-section (5)	Use of premises in contravention of declaration	500		

Sr. No.	Section, Sub-section, clause or proviso of HMC Act, 1994	Subject	Fine or imprisonment which may be imposed	Daily fine which may be imposed
	1	2	3	4
			Rs.	Rs.
51.	Section 353	Preventing the Commissioner or any person authorised in this behalf from exercising his powers of entry, etc.	500	100
52.	Section 354	Preventing the Commissioner or any person authorised in this behalf from exercising his powers of entry upon any adjoining land	500	
53.	Section 359	Obstruction or molestation in execution of work	500	
54.	Section 366 sub-section (4)	Failure to comply with requisition to state the name and address of owners of premises	500	
55.	Section 375, sub-section (3)	Failure of occupier of land or building to afford owner facilities for complying with provisions of the order, etc. after eight days from issue of order by District Judge.	500	50
56.	Section 405	Obstruction of Mayor or any Corporation authority, etc.	500	
57.	Section 406	Removal of any mark set up for indicating level, etc.	500	
58.	Section 407	Removal etc. of notice exhibit by or under order of the Corporation Commissioner, etc.	500	
59.	Section 408	Unlawful removal of earth, sand or other material or deposit of any matter or making of any encroachment from any land vested in the Corporation	500	

Table (ii)

Sr. No.	Section, sub- section, clause or provision of HMC Act, 1994	Subject	Penalty which may be imposed	Daily penalty which may be imposed
	1	2	3	4
			Rs.	Rs.
1.	Section 101, sub-sections (1) and (2)	Failure to give notice of transfer or devolution of land or building	500	50
2.	Section 101, sub-section (3)	Failure to produce instrument of transfer	500	50
3.	Section 102	Failure to give notice of erection of new building etc.	500	
4.	Section 103	Failure to give notice of demolition or removal of building	500	50

Sr. No.	Section, sub- section, clause or provision of HMC Act, 1994	Subject	Penalty which may be imposed	Daily penalty which may be imposed
	1	2	3	4
			Rs.	Rs.
5.	Section 104	Failure to comply with requisition to furnish information, etc.	500	
6.	Section 108, sub-section (2)	Wilful delay or obstruction of valuers	500	
7.	Section 122	Prohibition of advertisement without permission	500	50
8.	Section 142, sub-section (2)	Non-compliance with the requisition of attendance before the Commissioner	500	
9.	Section 145	Failure to disclose liability	500	
10.	Section 180	Failure to give notice	500	
11.	Section 182	Prohibition to occupy new premises without arrangement for water supply	500	50
12.	Section 191, sub-section (2)	Construction of latrines, etc., in a position where pipes may be injured or water therein polluted	500	50
13.	Section 196, sub-section (2)	Private drain not to be connected with Municipal drain without notice	500	50
14.	Section 205	Connection with Municipal Water works of drains without written permission	500	50
15.	Section 214, sub-section (1)	Execution of work by a person other than a licenced plumber	500	
16.	Section 214, sub-section (2)	Failure to furnish when required, name of licensed plumber employed	500	
17.	Section 214, sub-section (6)	Licensed plumbers not to demand more than the charges prescribed	500	
18.	Section 214, sub-section (8)	Licensed plumbers not to contravene bye-law or executive work carelessly, or negligently etc.	500	
19.	Section 231, sub-section (5)	Utilising, Setting or otherwise dealing with any land or laying out a private street otherwise than in conformity with orders of the Corporation	500	50
20.	Section 232, sub-sections (1), clauses (a) and (b)	Failure to comply with requisition to show cause for alteration of street or for appearance before the Commissioner	500	50
21.	Section 233, sub-section (1)	Failure to comply with requisition on owner of private street or owner of adjoining land or building to level, etc. such street	500	50
22.	Section 238, sub-section (1)	Erection, etc. of structure or fixtures which cause obstruction in street.	1,000	100
23.	Section 238, sub-section (2)	Deposit, etc. of things in streets	500	

Sr. No.	Section, sub- section, clause or provision of HMC Act, 1994	Subject	Penalty which may be imposed	Daily penalty which may be imposed
	1	2	3	4
			Rs.	Rs.
24.	Section 241, sub-sections (1) and (2)	Tethering of animals and milking of cattle in public streets	500	
25.	Section 242, sub-section (4)	Unlawful removal of bar or sorting timber etc., or removal or extinction of light	500	
26.	Section 243, sub-section (1)	Streets not to be opened or broken up and building material not to be deposited thereon without permission	500	50
27.	Section 245, sub-section (2)	Name of street and number of house not be destroyed or defaced etc.	500	
28.	Section 248, sub-section (1)	Removal etc. of lamps	500	
29.	Section 248, sub-section (2)	Wilfully and negligently extinguishing light in public street etc.	500	
30.	Section 250	Erection of a building without the sanction of the Commissioner	5,000	500
31.	Section 251, sub-section (1)	Failure to give notice of intention to erect a building	500	
32.	Section 252	Failure to give notice of intention to make additions, etc., to buildings	500	50
33.	Section 255, sub-section (4)	Commencement of work without notice, etc.	2,000	200
34.	Section 258, sub-section (1)	Erection of buildings on new streets without levelling	1,000	50
35.	Section 260	Use of inflammable material without permission	1,000	
36.	Section 271	Failure to provide for collection, removal and deposit of refuse and provision of receptacles	500	50
37.	Section 272	Failure to comply with requisition for removal of rubbish etc. from premises used as market etc.	500	
38.	Section 273, sub-section (1)	Keeping rubbish and filth for more than twenty four hours etc.	500	50
39.	Section 273, sub-section (2)	Allowing filth to flow in streets.	500	50
40.	Section 273, sub-section (3)	Depositing rubbish or filth etc. in street etc.	500	
41.	Section 275, sub-section (1)	Latrines and urinals not to be constructed without permission or in contravention of terms prescribed	500	

Sr. No.	Section, sub- section, clause or provision of HMC Act, 1994	Subject	Penalty which may be imposed	Daily penalty which may be imposed	
	1	2	3		
			Rs.	Rs.	
42.	Section 277, sub-section (1)	Failure to provide buildings newly erected or re-erected with latrine, urinal and other accommodation	1,000	100	
43.	Section 277, sub-section (3)	Failure to provide residential buildings composed of separate tenements with latrine, bathing or washing place for servants on the ground floor	500		
44.	Section 278	Failure to provide latrines for premises used by large number of people and to keep them clean and in proper order	500	50	
45.	Section 279	Failure to comply with requisition to enforce provision of latrines or urinal etc.	500	50	
46.	Section 280, Clauses (a), (b), (c) and (d)	Failure to comply with requisition to enforce provision of latrine or urinal accommodation etc.	500	50	
47.	Section 285	Failure to comply with requisition of the Commissioner to remove in sanitary huts and sheds etc.	500	50	
48.	Section 286, sub-section (1)	Prohibition against washing by washerman	500		
49.	Section 287	Failure to give information of dangerous disease.	500		
50.	Section 290	Failure to comply with requisition to destroy infectious huts or sheds	500		
51.	Section 291	Washing of clothing, bedding etc. at any place not notified by the Commissioner	500		
52.	Section 293, sub-section (1)	Sending infected clothes to washer man or laundry.	500		
53.	Section 293, sub-section (2)	Failure to furnish address of washer man or laundry to which clothes have been sent.	500		
54.	Section 294, sub-sections (1), (2) and (3)	Use of public conveyances by persons suffering from a dangerous disease etc.	500		
55.	Section 296				
56.	Section 297	Disposal of infected articles without disinfections	500		
57.	Section 298	Making or selling of food etc. or washing of clothing by infected persons	500		
58.	Section 299	Sale of food or drink in contravention of restriction or prohibition of the Commissioner	500		
59.	Section 300	Removal or use of water from wells and tanks in contravention of prohibition of Commissioner	500		

Sr. No.	Section, sub- section, clause or provision of HMC Act, 1994	Subject	Penalty which may be imposed	Daily penalty which may be imposed	
1		2	3	4	
			Rs.	Rs.	
60.	Section 301	Exposure of persons to risk of infection by the presence or conduct of a person suffering from a dangerous disease, etc.	500		
61.	Section 303, sub-section (1)	Absence of sweepers, etc., from duty without notice	1,000		
62.	Section 304	Failure to supply information by persons incharge of burning or burial grounds	500		
63.	Section 308, sub-section (1) clause (b)	Failure to give notice for removal of corpse of dead animals	500		
64.	Section 313	Setting a naked light	500		
65.	Section 320, sub-section (1)	Sale in municipal markets without permission	500		
66.	Section 324	Keeping market open without licence, etc.	2,000		
67.	Section 325	Sale in unlicensed market	500		
68.	Section 326	Carrying on business or trades near a market	500		
69.	Section 332 sub- section (3)	Keeping, abandonment or tethering of animals, etc.	300 which may extend to 2000	100	
70.	Section 334	Hawking articles for sale without a licence, etc.	500		

Statement of Objects & Reasons

The Government of India enacted 'The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023', which was notified on 11th August 2023. The Act decriminalised 183 provisions in 42 Central Acts administered by 19 Ministries/Departments which is the first consolidated legislation to systematically decriminalise minor offences across multiple Acts.

In August 2025, Govt. of India introduced 'Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025' in Lok Sabha on the success of 'The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023', which covers 16 Central Acts administered by 10 Ministries/Departments. A total of 355 provisions were proposed to be amended with 288 provisions decriminalised to foster Ease of Doing Business and 67 provisions proposed to be amended with the objective of promoting 'Ease of Doing Business and Ease of Living' by rationalizing minor offences and replacing imprisonment clauses with monetary penalties across multiple legislations. The Act marked a major shift from enforcement-based to trust-based governance. Further, Govt. of India has advised all States/UTs to review and adopt strategy laid down on Jan Vishwas Act, 2023 for decriminalization of minor offences at State level.

Introduction of 'Haryana Jan Vishwas Bill, 2025'is one of a key action item of the 4th Chief Secretaries' Conference and an important Priority Area under the ongoing Compliance Reduction and Deregulation exercise of the Cabinet Secretariat, Government of India.

'The Haryana Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025' is being introduced to reduce 164 minor criminal provisions in 42 State Acts across 17 departments by removing obsolete and redundant clauses, introducing civil penalties and administrative actions for minor technical and procedural lapses, and decriminalising minor and technical offences through the elimination of penal provisions.

The Haryana Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025 aims to achieve following objectives:

1. Trust-based governance & reducing regulation burden:

The foundational idea is that democratic governance should rest on trusting citizens and institutions. Over time, a complex web of outdated rules and petty compliance obligations had created distrust and inefficiency. The Bill aims to reduce this burden by simplifying, digitizing, and rationalizing compliance obligations.

2. "Ease of Living" and "Ease of Doing Business" reforms

The Bill is aligned with the government's broader agenda of "Minimum Government, Maximum Governance". It seeks to reshape the regulatory landscape so that citizens and businesses have fewer procedural obstacles.

3. **Decriminalisation of minor offences**

Many laws still penalize minor, technical, or procedural lapses with imprisonment or steep criminal provisions. Such measures deter compliance more than encouraging it, and place unnecessary strain on courts. The Bill seeks to rationalize these provisions by converting several of them into monetary penalties or warnings, particularly for first-time or non-wilful contraventions. At the same time, the Bill refrains from undertaking decriminalisation in respect of offences under State Acts that are grave in nature or essential to be retained in the interest of public safety, order or good governance.

4. Administrative resolution instead of court-based

The Bill focuses on resolving most contraventions through administrative adjudication, compounding, or warnings, without approaching courts. This will save time, reduce costs, and lessen the burden on the judiciary. It also ensures that a competent authority is clearly designated in the proposed amendments to impose penalties, wherever it is replaced with fine.

5. Continuity with Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 of Govt. of India

The Bill extends and deepens the reforms initiated under the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023. It proposes further decriminalisation and rationalisation by reducing 164 provisions in 42 State Acts across 17 departments.

6. Periodic revision of penalties

To maintain deterrence and adapt to changing circumstances, the Bill focused to ensure that fines are converted into penalties wherever feasible. In cases, where the penalty is not paid, the department may consider invoking criminal provisions or adopt compounding of penalties, as deemed appropriate.

The 'Haryana Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025', therefore, seeks to promote trust-based governance by ensuring a balanced and pragmatic legal framework that emphasizes facilitation over penalization. It aims to enhance Ease of Living and Ease of Doing Business in the State through reduction of unnecessary criminal provisions, simplification of compliances and establishment of a transparent, efficient and citizen-centric administrative environment.

	RAO NARBIR SINGH, Industries & Commerce Minister, Haryana
	
Chandigarh: The 17th December, 2025.	RAJIV PRASHAD, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 36 एच.एल. ए.

हरियाणा जन विश्वास (उपबन्धों का संशोधन) विधेयक, 2025 जीवन की सुगमता और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन को और बेहतर बनाने हेतु अपराधों के निरापराधीकरण और सुव्यवस्थीकरण के लिए कतिपय अधिनियमितियों को संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा जन विश्वास (उपबन्धों का संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह 30 अक्तूबर, 2025 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2. अनुसूची के खाना (4) में वर्णित अधिनियमितियों को उसके खाना (5) में वर्णित सीमा तक और रीति में इसके द्वारा संशोधित किया जाता है।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

3. अनुसूची में वर्णित अधिनियमितियों में विभिन्न उपबन्धों के अधीन उपबन्धित शास्तियां, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के बाद, उसकी उपबन्धित शास्ति की न्यूनतम राशि के दस प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी। शास्तियों का उपांतरण।

4. (1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई के नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन किए बिना अनुसूची में वर्णित सुसंगत अधिनियमिति के किसी भी उपबन्ध की उल्लंघना में कोई भी शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

शास्ति अधिरोपित करने / अपील सुनने हेतु प्राधिकारी।

- व्याख्या.— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, ऐसा प्राधिकारी, जो इस अधिनियम के अधीन संशोधित की जाने वाली सुसंगत अधिनियमिति में उपबन्धित है अथवा यदि अधिनियमिति में सक्षम प्राधिकारी उपबंधित नहीं है, तब ऐसा प्राधिकारी, जिसे सरकार / राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (2) सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अपील प्राधिकारी को ऐसी अवधि, जो आदेश की तिथि से विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर ऐसी रीति, जो विनिर्दिष्ट की जाए, में अपील दायर कर सकता है:

परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता को नियत अवधि के भीतर अपील दायर करने से उपयुक्त कारणों से रोका गया था।

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अपील प्राधिकारी" से अभिप्राय है, ऐसा प्राधिकारी, जिसे सरकार / राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

5. यदि यथा अधिरोपित शास्ति की राशि जमा नहीं करवाई जाती है, तो भू—राजस्व के बकायों के रूप शास्ति की वसूली। में वसूल किए जाने हेतू दायी होगी।

6. इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति का संशोधन या निरसन, किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें संशोधित या निरसित अधिनियमिति को लागू ,शामिल या निर्दिष्ट किया गया है:

व्यावृत्ति ।

और यह अधिनियम पहले से की गई या सहन की गई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों, या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उनके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग की अथवा से किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा:

न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप या क्रम, या विद्यमान प्रथा, रुढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित करेगा, इस बात के होते हुए भी कि यह क्रमशः इसके द्वारा संशोधित या निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से किसी भी रीति में अभिपुष्ट किया गया हो या मान्यता दी गई हो या व्युत्पन्न हुआ हो; न ही इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का संशोधन या निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, व्यवहार, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात को पुनर्जीवित या प्रत्यावर्तित करेगा जो अब प्रचलित या लागू नहीं है।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

- 7. (1) हरियाणा जन विश्वास (उपबन्धों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची				
क्रम संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3	4	5
1.	1872	पंजाब अधिनियम IV	हरियाणा विधि अधिनियम, 1872	1. धारा 42 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "42. सहायता रोकने या मौन स्वीकृति देने या भगाने के लिए शास्ति.— यदि ऐसा मुखिया या पहरेदार तत्काल ऐसी सहायता नहीं देता, या यदि ऐसे गांव के निवासी अपने घरों में अपराधियों की तलाशी के लिए पूरा अवसर नहीं देते हैं, या यदि मामले की परिस्थितियों से यह विश्वास करने का ठोस कारण प्रतीत होता है कि ऐसे गांव के निवासी, या उनमें से कोई भी अपराध करने में या अपराधियों को भगाने में मौन सहमित दे रहे थे, और ऐसे अपराधियों का गांव से बाहर जाने का सुराग नहीं मिला है, तो जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे उन निवासियों पर, जो तुरंत सहायता नहीं देते हैं या अपराधी को भागने में मौन सहमित देते हैं या मदद करते हैं, तो ऐसी शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी, अधिरोपित कर सकता है।"। 2. धारा 50ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "50ख. नियमों का भंग करने पर शास्ति.— यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी, किन्तु पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी।"।
3.	1883	पंजाब अधिनियम 20 पंजाब	हरियाणा जिला बोर्ड अधिनियम, 1883 हरियाणा वन (इमारती	धारा 57 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "57. विनियमों का अतिलंघन करने के लिए शास्ति.—धारा 56 के अधीन बनाए गए किसी विनियमन का अतिलंघन करने के मामले में, बोर्ड यह अवधारित कर सकता है कि उसका भंग करने पर ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, और भंग जारी रहने के मामले में, प्रत्येक दिन, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, के लिए एक हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति, जो बीस हजार रुपए तक की अधिकतम सीमा तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा: परन्तु उपायुक्त ऐसी शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व अपराधी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।"। धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (च) के स्थान पर,
J.	1313	अधिनियम 3	लकड़ी की बिक्री) अधिनियम, 1913	निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "(च) इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम का अतिलंघन करने के लिए पचास हजार रुपए की शास्ति विहित की जा सकती है। यदि भंग सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किया जाता है, या विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रतिरोध की तैयारी के बाद किया जाता है, या यदि अपराधी को पहले भी समरूप अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जा चुका है, तो शास्ति पहले से अधिरोपित शास्ति की राशि का दुगुनी होगी। इसके अतिरिक्त, पुनरावृत्त भंग करने के मामले में, शास्ति, शास्ति की दुगुनी होगी। संज्ञान लेने और शास्ति

				वसूल करने वाला अधिकारी उप रेंज वन अधिकारी की पदवी से नीचे का नहीं होगा।"।
4.	1914	पंजाब अधिनियम I	हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914	1. धारा 65 के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "(क) किसी आबकारी अधिकारी या ऐसी मांग करने हेतु सम्यक् रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसी मांग करने पर ऐसी अनुज्ञप्ति, परिमट या पास को प्रस्तुत करने में जानबूझकर असफल रहता है, तो ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम नहीं हो सकेगी, किन्तु एक लाख रुपए तक की हो सकेगी।"। 2. धारा 70 में,—
				(i) "यदि कोई आबकारी अधिकारी" "शब्दों से पूर्व, "(1)" अंक तथा चिह्न जोड़े जाएंगे; (ii) "तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है, अथवा जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकता है, अथवा दोनों के लिये दायी होगा" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "तो वह आबकारी आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाने वाली ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक लाख रूपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
				(iii) उपधारा (1) के बाद, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:— "(2) शास्तियां अवधारित करने के प्रयोजन हेतु, आबकारी आयुक्त, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज जो आबकारी आयुक्त की राय में विषय—वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है और हाजिर होने के लिए बाध्य कर सकता है और यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि संबंधित अधिकारी ने उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे:
				परन्तु संबंधित आबकारी अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना, ऐसी कोई भी शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।"। 3. धारा 70 के बाद, निम्निलखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— "70क. अपील.— (1) धारा 70 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, को अपील कर सकता है: परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त साठ दिन की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता को नियत अवधि

				के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया
				था।
				(2) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह उचित समझे। (3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील का निपटान अपील दायर करने की तिथि से एक सौ अस्सी
				(180) दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।"।
5.	1938	पंजाब अधिनियम 3	हरियाणा साहूकार पंजीकरण अधिनियम, 1938	धारा 4 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "(3) कोई भी साहूकार, जो उप—धारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह प्रथम उल्लंघन के लिए पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा। पश्चात्वर्ती उल्लंघन के मामले में, अधिरोपित शास्ति, प्रथम उल्लंघन के लिए अधिरोपित शास्ति, यास्ति का दुगुनी होगी।"।
6.	1948	पूर्वी पंजाब अधिनियम 50	हरियाणा जोत (चकबंदी तथा खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम, 1948	धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "38. शास्तियां.— यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी सर्वेक्षण चिह्न को नष्ट करता है, क्षित पहुँचाता है, या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटाता है, तो उसे चकबंदी अधिकारी द्वारा ऐसी शास्ति का भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है, जो उस अधिकारी की राय में, उसे पुनः स्थापित करने और उस व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसने नष्ट करने, क्षिति पहुँचाने या हटाए जाने की सूचना दी थी, को पुरस्कृत करने का व्यय वहन करने के लिए आवश्यक हो। ऐसे व्ययों की वसूली के अतिरिक्त, चकबंदी अधिकारी इस प्रकार नष्ट किए गए, क्षिति पहुँचाए गए या हटाए गए प्रत्येक सर्वेक्षण चिह्न के लिए ऐसी शास्ति भी अधिरोपित कर सकता है, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी।"।
7.	1949	पूर्वी पंजाब अधिनियम 1	हरियाणा ईंट—आपूर्ति नियंत्रण अधिनियम, 1949	1. धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "6. शास्तियां.— यदि कोई व्यक्ति, धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।"। 2. धारा 9 में, "कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 3. धारा 10, 11 तथा 12 का लोप कर दिया जाएगा।
8.	1953	पंजाब अधिनियम 10	हरियाणा भू—धृति सुरक्षा अधिनियम, 1953	1. धारा 11 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "11. अभिधारी का जल पर अधिकार.— अभिधृति, यदि कोई हो, में कमी के अनुपात के सिवाय, भू—स्वामी इस अधिनियम के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व अभिधारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले नहर की जलापूर्ति या कुएँ के जल के उपयोग को कम या बंद करने के लिए सक्षम नहीं होगा, और इस उपबंध का भंग करने पर प्रथम उल्लंघन के लिए बीस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा। पश्चात्वर्ती

				उल्लंघन के मामले में, अधिरोपित शास्ति, प्रथम उल्लंघन के लिए अधिरोपित शास्ति, की दुगुनी होगी।"। 2. धारा 14 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "(2) कोई भी भू—स्वामी, जो ऐसी रसीद देने में असफल रहता है, तो वह पांच हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा।"।
9.	1953	पंजाब अधिनियम 40	हिरयाणा गन्ना (क्रय तथा आपूर्ति विनियमन) अधिनियम, 1953	धारा 9 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "9. शास्तियां.— यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो प्रथम उल्लंघन के लिए पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं हो सकेगी, किन्तु जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी, पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी और यदि उल्लंघन फिर भी जारी रहता है, तो अनुज्ञप्ति अधिकतम एक वर्ष की अविध के लिए निलंबित कर दी जाएगी।"।
10.	1958	पंजाब अधिनियम 2	हरियाणा भाण्डागार अधिनियम, 1957	धारा 32 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "32. शास्ति तथा प्रक्रिया.— (1) जो कोई भी— (क) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना अनुज्ञप्त भाण्डागारिक के रूप में कार्य करता है या स्वयं को उस रूप में बताता है; या (ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों या अपेक्षाओं का जानबूझकर उल्लंघन करता है या का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी। (2) जहां उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, कंपनी या संगम या व्यष्टि निकाय है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, वहां ऐसी कंपनी, संगम या निकाय के कार्यों का प्रबंध करने वाले प्रबंधक, सचिव, अभिकर्ता या अन्य प्रधान अधिकारी को उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघनकर्ता समझा जाएगा।"।
11.	1963	पंजाब अधिनियम 23	हरियाणा भूमि सुधार स्कीम अधिनियम, 1963	धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "20. शास्तियां.— कोई भी व्यक्ति, जो कोई ऐसा कार्य करता है, जो किसी ऐसी स्कीम, जो धारा 11 के अधीन लागू हुई है, के अधीन कार्यान्वित या अनुरक्षित संकर्मों में से किसी को कोई हानि पहुंचाता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस हज़ार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु पचास हजार रुपए तक हो सकेगी। यदि वह शास्ति का भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसे दो वर्ष की अवधि के लिए विभागीय स्कीमों का लाभ प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा।"।

12.	1971	20	हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971	1. धारा 76 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "76. उपविधियों की उल्लंघना करने के लिए शास्ति. — जो कोई भी धारा 75 के अधीन बनाई गई किसी भी उपविधि का उल्लंघन करता है, तो ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पचास हजार रूपए तक की हो सकेगी।"। 2. धारा 77 में, "तो वह दोषसिद्वि पर, कारावास से, जो एक मास की अविध तक हो सकता है, या जुर्मान से, जो पांच सौ रूपए तक हो सकता है, या दोनों से, दंडित किया जाएगा" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "तो वह पचास हजार रूपए की शास्ति के लिए दायी होगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
13.	1972	24	हरियाणा लोक परिसर और भूमि (बेदखली तथा किराया वसूली) अधिनियम, 1972	1. धारा 11 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "11. शास्तियां.— (1) यदि कोई भी व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी लोक परिसर से बेदखल कर दिया गया है, तो वह ऐसे अधिभोग के प्राधिकार के बिना ऐसे परिसरों का पुनः अधिभोग करता है, तो वह एक लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा और प्रत्येक पुनरावृत्त अधिभोग के लिए, अधिरोपित शास्ति, प्रथम उल्लंघन के लिए अधिरोपित शास्ति की दुगुनी होगी। (2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित करने वाला सक्षम प्राधिकारी, उस व्यक्ति को बेदखल करने के लिए संक्षेपतः आदेश देगा और वह इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी बेदखली के लिए दायी होगा।"।
14.	1972	26	हरियाणा भूमि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972	धारा 21 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "21. मिथ्या कथन करने के लिए शास्तियां.— (1) यिंद कोई व्यक्ति धारा 9 द्वारा यथा अपेक्षित कोई घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहता है, या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान कोई ऐसी घोषणा या ऐसा कथन करता है या कोई ऐसी जानकारी प्रस्तुत करता है जो मिथ्या है, या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण रखता है, या जिसके मिथ्या होने का विश्वास नहीं है, तो वह पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा। (2) यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई जानकारी प्रस्तुत करके आबंटन प्राप्त करता है, जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास करने का कारण रखता है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगाः परंतु इस धारा के अधीन किसी शास्ति का अधिरोपण, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभियोजन के लिए वर्जित नहीं होगा।"।

15.	1973	35	हरियाणा अचल संपत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1973	धारा 23 में, "जुर्माने से दंडनीय होगा, जो एक हजार रूपए तक हो सकता है" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक हजार रूपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
16.	1973	24	हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973	1. धारा 86 की उपधारा (2) में, "जुर्माने से दण्डनीय" के स्थान पर, "शास्ति के लिए दायी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
				2. धारा 87 की उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
				"(5) जो कोई भी उपधारा (1) और (3) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो किसी अन्य शास्ति, जो उसकी ऐसी उपेक्षा के कारण उपगत होती है, के अतिरिक्त ऐसी शास्ति, जो पच्चीस रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दो सौ रुपए तक की हो सकेगी और भंग जारी रहने के मामले में, प्रत्येक दिन, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, के लिए दस रुपए की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा।"।
				3. धारा 127 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
				"(2) यदि कोई भी व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए प्रतिषेधात्मक नोटिस का उसकी तामील की तिथि से छह मास के भीतर अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो पच्चीस रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दो सौ रुपए तक की हो सकेगी और प्रत्येक दिन, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, के लिए दस रुपए की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा।"।
				4. धारा 141 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
				"(2) उपधारा (1) के निबंधनों की उल्लंघना में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस रुपए से कम नहीं हो सकेगी किन्तु दो सौ रुपए तक की हो सकेगी।"।
				5. धारा 149 में, "जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रूपए और अधिक से अधिक दो सौ रूपये होगा" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दो सौ रुपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
				6. धारा 150 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
				"150. पशुओं को इस प्रकार रखना कि वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों.— जो कोई भी सूअर या अन्य पशु को ऐसे किसी भी आदेश, जो समिति उन्हें उत्तापी बनने से रोकने के लिए दे सकती है, की अवहेलना करते हुए रखता
				है, या इस प्रकार रखता है कि वे निवासियों या पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों, तो वह पांच सौ रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा और ऐसे प्रत्येक पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए एक हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा।"।
				7. धारा 158 में, "जुर्माने से दण्डनीय होगा जो कम से कम एक हजार रुपए तथा अधिक से अधिक पांच हजार रुपए

और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध चालू रहता है एक सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "तो वह ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी तथा प्रत्येक ऐसे दिन, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, के लिए एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा" शब्द तथा चिहन प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

- 8. धारा 159 में, "प्रथम या द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम के कम पच्चीस रूपये और अधिक से अधिक दो सौ रुपए होगा" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दो सौ रुपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिहन प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 9. धारा 160 में, "जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपए और अधिक से अधिक दो सौ रुपए होगा" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस रुपए से कम नहीं होगी किन्तु दो सौ रुपए तक की हो सकेगी" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 10. धारा 164 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
- "(3) जो कोई भी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दो सौ रुपए तक की हो सकेगी।"।
- 11. धारा 189 में, "जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपए और अधिक से अधिक दो सौ रुपए होगा" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस रुपए से कम नहीं हो सकेगी किन्तु दो सौ रुपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 12. धारा 190 में,-
 - (i) उपधारा (1) में, "जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपए और अधिक दो सौ रुपए होगा" शब्दों और चिह्न के स्थान पर, "तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दो सौ रुपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) उपधारा (2) का लोप कर दिया जाएगा।
- 13. धारा 191 की उपधारा (2) में, "जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपए और अधिक से अधिक दो सौ रुपए होगा" शब्दों और चिह्न के स्थान पर, "तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगी, जो पच्चीस रूपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दो सौ रूपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिहन प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 14. धारा 194 की उपधारा (1) में, "जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपए और अधिक से अधिक दो सौ रुपए होगा" शब्दों और चिह्न के स्थान पर, "तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस रूपए से कम की

नहीं हो सकेगी किन्तु दो सौ रूपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 15. धारा 195 में,—

- (i) "जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपए और अधिक से अधिक दो सौ रुपए होगा" शब्दों और चिह्न के स्थान पर, "तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी ही होगी, जो पच्चीस रूपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दो सौ रूपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित
- (ii) उप—धारा (2) में, "जुर्माने का दायी होगा, जो कम से कम पच्चीस रूपए और अधिक से अधिक दो सौ रूपए होगा" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस रूपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दो सौ रूपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

16. धारा 196 में, "जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपए और अधिक से अधिक दो सौ रुपए होगा" शब्दों और चिहन के स्थान पर, "तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस रूपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दो सौ रूपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिहन प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

17. धारा 198 में, "जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो कम से कम पच्चीस रुपए और अधिक से अधिक दो सौ रुपए होगा" शब्दों और चिह्न के स्थान पर, "तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस रूपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दो सौ रूपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

18. धारा 214 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:—

"214. उपविधियों के अतिलंघन के लिए शास्ति.

— इस अध्याय की किसी धारा के अधीन कोई उपविधि बनाते समय, राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि उसका कोई भंग या उसके भंग का दुष्प्रेरण ऐसी शास्ति, जो तीन सौ रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दो हजार रुपए तक की हो सकेगी, और जब भंग जारी रहता है, तो प्रत्येक दिन, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, के लिए दस रुपए की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगाः

परंतु धारा 200 के खंड (भभ) के अधीन भंग या भंग का दुष्प्रेरण ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दो हजार पांच सौ रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी:

परंतु यह और कि धारा 200 के खंड (भभभ) के अधीन भंग या भंग का दुष्प्रेरण ऐसी शास्ति, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, और भंग जारी रहने के मामले में, प्रत्येक दिन, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, के लिए दो हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा।"।

17.	1974	24	हरियाणा शरीर-रचना	1. धारा ६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की
			विज्ञान अधिनियम,	जाएगी, अर्थात्:-
			1974	"6. शास्तियां— जो कोई भी इस अधिनियम के उपबंधों
				को विफल करने के आशय से, इस अधिनियम द्वारा यथा
				अनुज्ञात के सिवाय किसी लावारिस शव का निपटान करता
				है या निपटान करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, या किसी
				अनुमोदित संस्था के किसी भारसाधक प्राधिकारी या प्राधिकृ
				त अधिकारी को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के
				लिए ऐसे शव को सौंपने, कब्जा लेने, हटाने या उपयोग
				करने से रोकता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा,
				जो प्रथम उल्लंघन के मामले में, दो लाख रुपए तक की हो
				सकेगी और पश्चात्वर्ती उल्लंघन के मामले में पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी।"।
				2. धारा 6 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—
				"6क. न्यायनिर्णयन.— (1) राज्य सरकार, शास्ति
				अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, अधिकारिता रखने
				वाले उप-मण्डल मजिस्ट्रेट को जांच करने और शास्ति
				अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में
				प्राधिकृत कर सकती है।
				(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई
				दस्तावेज, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में जांच के
				लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो, प्रस्तुत करने के लिए
				बुला सकता है और उसे हाजिर होने के लिए बाध्य कर
				सकता है और यदि ऐसी जांच करने के बाद, उसकी संतुष्टि
				हो जाती है कि संबंधित व्यक्ति धारा 6 के उपबंधों का
				अनुपालन करने में असफल रहा है, तो वह शास्ति अधिरोपित
				कर सकता है:
				परन्तु संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त
				अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।
				6ख. अपील.— (1) जो कोई भी धारा 6क के अधीन
				न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, तो
				आदेश प्राप्ति की तिथि से साठ दिन के भीतर अपील
				प्राधिकारी के रूप में अधिकारिता रखने वाले उपायुक्त को
				अपील कर सकता है, जो इस निमित्त राज्य सरकार या
				प्रशासन द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो:
				परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि
				उसकी संतुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता को नियत अवधि
				के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया
				था।
				(2) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का
				अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकता है,
				जैसा वह उचित समझे।
				(3) उपधारा (1) के अधीन अपील का निपटान ऐसी अपील
				दायर किए जाने की तिथि से साठ दिन के भीतर किया
				जाएगा।"।
L	l	<u>l</u>		<u> </u>

18.	1974	29	हरियाणा नहर तथा जल— निकास अधिनियम, 1974	1. धारा 58 में, "तो उपर्युक्त खंड (क), (ख), (ग), (छ) तथा (ट) के अधीन अपराधों के बारे में, दोषसिद्धी पर, पांच हजार रूपए से अनिधक जुर्माने अथवा छह मास से अनिधक कारावास अथवा दोनों और निरन्तर अपराध / उल्लंघना की दशा में अतिरिक्त जुर्माने जो प्रत्येक पश्चात्वर्ती दिन के लिए पांच सौ रूपए तक हो सकता है, से दायी होगा। अन्य अपराधों के बारे में, अपराधी दोषसिद्धि पर एक हजार रूपए से अनिधक जुर्माने अथवा एक मास से अनिधक कारावास, अथवा दोनों से दायी होगा" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "उपर्युक्त खंड (क), (ख), (ग), (छ) तथा (ट) के अधीन उल्लंघनों के संबंध में, वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक लाख रुपए से अधिक की नहीं हो सकेगी और उल्लंघन जारी रहने के मामले में, प्रत्येक पश्चात्वर्ती दिन के लिए अतिरिक्त शास्ति, जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगी। खण्ड (घ), (ङ), (च), (ज), (झ) तथा (अ) के अधीन अन्य उल्लंघनों के सम्बन्ध में, वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस हजार रूपए से अधिक की नहीं हो सकेगी। शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
19.	1975	8	हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975	धारा 10 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः— "10 शास्तियां.— "(1) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबंध या धारा 3 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जो विनिर्दिष्ट की जाएः परन्तु कोई भी व्यक्ति, जो धारा 7 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, किसी भी भांति के कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और ऐसे जुर्माने का भुगतान करने के लिए भी दायी होगा, जो कलक्टर दर के दुगुना तक का हो सकेगा, किन्तु उस भूमि, जिस पर उल्लंघन किया गया है, पर लागू कलक्टर दर के आधे से कम का नहीं हो सकेगा"।
20.	1975	9	हरियाणा चल संपत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1975	धारा 16 में "कारावास है, जो एक वर्ष तक हो सकता है, अथवा जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "तो वह शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक हजार रुपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
21.	1983	10	हरियाणा कक्ष—समूह स्वामित्व अधिनियम, 1983	धारा 24क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "24क. शास्तियां.— (1) संपत्ति/भवन का कोई भी स्वामी, जो धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अविध के भीतर घोषणा दायर नहीं करता है, तो वह ऐसी शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जो दस लाख रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु जो पचास लाख रुपए तक की हो सकेगी। (2) यदि संपत्ति/भवन का स्वामी उपधारा (1) के अधीन यथा अधिरोपित शास्ति का भुगतान विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, किन्तु छह माह से अधिक नहीं, करने में असफल रहता है, तो निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसा उपाय कर सकता है, जो आवश्यक प्रतीत हो और इसकी चूक में संपत्ति/भवन का स्वामी किसी भी भांति के कारावास, जिसकी अविध एक वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय

				होगा और कम से कम पचास लाख रुपए तथा अपराध जारी
				लिए भी दायी होगा।"।
22	1094	22	टिगाणा सटकारी	1 शाज 117 में _
22.	1984	22	हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984	(i) उपधारा (2) में, "जुर्माने से दंडनीय होगा, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकता है", शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "तो वह ऐसी शाारित के लिए दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ii) उपधारा (3), (4), (5), (6), (7) और (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:— "(3) कोई सहकारी सोसाइटी या उसका कोई अधिकारी या सदस्य मिथ्या विवरणी देता है या मिथ्या जानकारी देता है, या कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर या बिना किसी उचित कारण के इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी समन, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है, या किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अपेक्षित जानकारी देने में असफल रहता है, तो वह रिजस्ट्रार या उस द्वारा प्राधिकृत तकिसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी। (4) कोई नियोक्ता या अधिकारी या ऐसे नियोक्ता की ओर से कार्य करने वाला अभिकर्ता, जो पर्याप्त कारण के बिना, धारा 45 के अधीन उसके द्वारा कटौती की निथ से चौदह दिन के भीतर सहकारी सोसाइटी के पास जमा करने में असफल रहता है, तो वह किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो तत्समय लागू किसी भी विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती है, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी। (5) कोई अधिकारी या संरक्षक, जो सहकारी सोसाइटी से संबंधित पुस्तकों, अभिलेखों, नकदी, प्रतिभूति और अन्य संपत्ति के धीन हकदार व्यक्ति को प्रस्तुत करने या सौंपने में जानबूझकर असफल रहता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी या एक मास के वेतन की कटौती, जो भी अधिक हो तथा ऐसे प्रथम भंग के लिए शास्ति अधिरोपित करने पश्चात, छह मास से अधिक समय तक भंग रहने
				के मामले में, उल्लंघन जारी रहने दौरान प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए तक की अतिरिक्त शास्ति
				के लिए दायी होगा। (6) कोई भी व्यक्ति, ऐसी किसी संपत्ति,
				जो धारा 52 और 53 के अधीन प्रभार के अध्यधीन है, को कपटपूर्वक अर्जित करता है या अर्जित

	करने में दुष्प्रेरण करता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी।
	(7) कोई भी व्यक्ति, जो समिति के प्रभार वाली संपत्ति को उसकी बिक्री या कुर्की से बचाने के आशय से अन्तरित करता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी।
	(8) प्रबंध समिति का सदस्य होने के नाते कोई भी व्यक्ति, जो पर्याप्त कारण के बिना, धारा 95 के उपबंधों के अनुसार लेखों की लेखापरीक्षा करवाने में असफल रहता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी।";
	(iii) उपधारा (16) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
	"(16) कोई भी व्यक्ति, जो जानबूझकर मिथ्या प्रमाणपत्र देता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, जिससे यह पता चले कि कोई व्यक्ति चूककर्ता है या सक्रिय सदस्य है या नहीं, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी।";
	(iv) उपधारा (18) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
	"(18) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या युक्तियुक्त कारण के बिना विहित अवधि के भीतर धारा 120 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करने में असफल रहता है, तो वह प्रतिदिन एक हजार रुपए की शास्ति, जो कुल मिलाकर तीस हजार रुपए तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा।
	व्याख्या.— उपधारा (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (16) और (18) के अधीन शास्तियां, भू—राजस्व के बकायों के रूप में वसूली योग्य होंगी और धारा 117क के अधीन सरकार के समक्ष अपील योग्य
	होंगी।"; (v) उपधारा (20) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा
	प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "(20) उपधारा (2), (3), (4), (5), (6), (7),
	(8), (16) और (18) के अधीन विनिर्दिष्ट उल्लंघन, रजिस्ट्रार या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शमनीय और न्यायनिर्णय योग्य होंगे।"।
	2. धारा 117 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
	"117क. अपील.— (1) धारा 117 की उपधारा (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (16) और (18) के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तिथि से साठ दिन के भीतर सरकार को अपील कर सकता है।
	(2) सरकार, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस आदेश को पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर

				सकती है, जिसके विरूद्ध अपील की गई है और उसका निर्णय अंतिम होगा।"।
23.	1991	14	हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल अधिनियम, 1991	1. धारा 33 में, "जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा व्यतिक्रम की दशा में, ऐसी अवधि के लिए, जो एक मास तक बढ़ाई जा सकती है, कारावास से दण्डनीय होगा" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "तो वह प्रत्येक ऐसी मनाही या असफलता के लिए ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2. धारा 34 में, "ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पचास हजार रूपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
24.	1992	10	हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजास्थल अधिनियम, 1991	1. धारा 26 की उपधारा (4) में, "एक वर्ष तक की अविध के लिए सिविल कारागार में नजरबन्द किए जाने" शब्दों के स्थान पर "शाास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी, का भुगतान करने" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2. धारा 33 में, "जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा व्यतिक्रम की दशा में, ऐसी अविध के लिए, जो एक मास तक बढ़ाई जा सकती है, कारावास से दण्डनीय होगा" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "तो वह प्रत्येक ऐसी मनाही या असफलता के लिए ऐसी शास्ति के लिए दायी होगी, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 3. धारा 34 के खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "(ग) मंदिर की संपत्ति, दस्तावेजों या लेखा—बहियों को गलत तरीके से हटाता है, नष्ट करता है या विकृत करता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगी, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी।"।
25.	1992	15	हरियाणा क्रेशर विनियमन तथा नियंत्रण अधिनियम, 1991	1. धारा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "12. शास्तियां.— जो कोई भी इस अधिनियम की धारा 3 के किसी भी उपबंध की उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगी, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगी किन्तु चार लाख रुपए तक की हो सकेगी।"। 2. धारा 13 का लोप कर दिया जाएगा।
26.	1993	16	हरियाणा कपास ओटाई तथा दबाई कारखाना अधिनियम, 1992	1. धारा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "5. विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कपास के अधिमिश्रण का प्रतिषेध और उसके लिए शास्ति.—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में, कपास ओटई या कपास दबाई वाले कारखाने में ओटे या दबाए गए कपास के किसी अधिमिश्रण का प्रतिषेध कर सकती है।

ГТТ	/-\ /\ \ \.
	(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में, यदि–
	(क) किसी कपास ओटई या कपास दबाई वाले
	कारखाने का कोई स्वामी किसी कपास को
	ओटता या दबाता है या ओटने या दबाने को
	अनुमत करता है, जिसके बारे में वह जानता है
	या विश्वास करने का कारण रखता है कि उसमें
	कपास का अधिमिश्रण है; या
	(ख) कोई भी व्यक्ति, जो कपास का कोई अधिमिश्रण
	बनाता है या ऐसी कपास, जिसको किसी कपास
	दबाई कारखाने में ओटा जाता है और जिसे
	दबाया जा रहा है या दबाया जाना आशयित है,
	के ऐसे अधिमिश्रण का दुष्प्रेरण करता है या
	जानबूझकर अनुज्ञात करता है या मौन सहमति देता है,
	तो ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो प्रथम उल्लंघन के
	लिए पच्चीस हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु
	पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी, पश्चात्वर्ती उल्लंघन
	के लिए एक लाख रुपए तक हो सकेगी और यदि उल्लंघन
	फिर भी जारी रहता है, तो अनुज्ञप्ति दो वर्ष की न्यूनतम
	अवधि के लिए निलंबित कर दी जाएगी।"।
	2. धारा ६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की
	जाएगी, अर्थात्:–
	"6. पानी मिलाने इत्यादि के लिए शास्ति.— (1)
	कपास ओटने या कपास दबाने वाले कारखाने का कोई
	भी स्वामी, जो जानबूझकर या यह विश्वास करने का
	कारण रखते हुए कि किसी कपास में पानी मिलाया
	गया है या उसमें विहित अनुपात से अधिक बिनौले हैं
	या कोई विजातीय पदार्थ या कपास अपशिष्ट है, ऐसे
	कारखाने में ऐसे कपास को ओटता है या दबाता है या
	ओटने या दबाने की अनुमित देता है, तो ऐसी शास्ति
	के लिए दायी होगा, जो प्रथम उल्लंघन के लिए पच्चीस
	हजार रुपए से कम की नहीं सकेगी, किन्तु पचास
	हजार रुपए तक की हो सकेगी, पश्चात्वर्ती उल्लंघन
	के लिए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी और यदि
	उल्लंघन फिर भी जारी रहता है, तो अनुज्ञप्ति दो वर्ष
	की न्यूनतम अवधि के लिए निलंबित कर दी जाएगी।
	(2) कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसी कपास, जिसको
	किसी कपास दबाई कारखाने में ओटा जाता है और जिसे
	दबाया जा रहा है या दबाया जाना आशयित है, में
	जानबूझकर पानी मिलाता है या उसे गीली करता है अथवा
	कपास में बिनौले या विजातीय पदार्थ या कपाल अपिष्ट
	मिश्रित करता है या कपास में ऐसे पानी मिलाने, गीली करने
	या मिश्रण करने का दुष्प्रेरण करता है या जानबूझकर
	अनुज्ञात करता है या मौन सहमति देता है, तो ऐसी शास्ति
	के लिए दायी होगा, जो प्रथम उल्लंघन के लिए पच्चीस
	हजार रुपए से कम की नहीं हो सकती किन्तु पच्चास हजार
	रुपए की हो सकेगी, पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए एक
	लाख रूपए तक की हो सकेगी, तथा यदि उल्लंघन फिर
	भी जारी रहता है, तो अनुज्ञप्ति दो वर्ष की न्युनतम अवधि
	के लिए निलम्बित कर दी जाएगी।"।
	य । लार् । चलान्त्रता प्रारं पा जार्गा।

27	1994	16	हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994	धारा 380 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— ''380. कितपय अपराधों के लिए दंड अथवा शास्तियां. — (1) जो कोई भी,— (क) इस अधिनियम से अनुबंध क के रूप में यथा संलग्न तृतीय अनुसूची में सारणी (i) या सारणी (ii) के प्रथम खाने में वर्णित इस अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है; या (ख) उक्त किन्हीं धाराओं, उप—धाराओं, खंडों, परंतुकों या अन्य उपबन्धों के अधीन उसे विधिपूर्वक दिए गए किसी आदेश का या उससे विधिपूर्वक की गई किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है— (i) तो वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो तृतीय अनुसूची की सारणी (i) के तृतीय खाने में विनिर्दिष्ट राशि तक का हो सकेगा; तथा उल्लंघन या असफलता जारी रहने के मामले में, जो ऐसे उल्लंघन या असफलता के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, तो अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, के लिए सारणी (i) के चतुर्थ खाने में विनिर्दिष्ट राशि तक का हो सकेगा; या
				(ii) तो वह ऐसी शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जो तृतीय अनुसूची की सारणी के तृतीय खाने में विनिर्दिष्ट राशि तक की हो सकेगी; तथा उल्लंघन या असफलता जारी रहने के मामलें में, जो ऐसे उल्लंघन या असफलता के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, तो अतिरिक्त शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा, के लिए सारणी (ii) के चतुर्थ खाने में विनिर्दिष्ट राशि तक की हो सकेगी।"। (2) विद्यमान तृतीय अनुसूची के स्थान पर, इस अधिनियम
28	1996	9	हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर—उद्ग्रहण) अधिनियम, 1996	से अनुबंध 'क' के रूप में यथा संलग्न तृतीय अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी।"। धारा 10 की उपधारा (1) में, ''दोषसिद्धि पर, एक हजार रुपए के जुर्माने का दायी होगा, जो पांच हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, चूक की दशा में छह मास से अनिधक किसी अविध के साधारण कारावास से दिण्डत किया जाएगा" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, ''तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम नहीं हो सकेगी किन्तु एक लाख रुपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
29	2001	6	हरियाणा मुर्राह भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशुपालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा	धारा 11 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "11. शास्तियां.— (1) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 10 में दिए गए उपबन्धों की उल्लंघना में किसी कार्य को करता

		T		
			परिवर्धन) अधिनियम, 2001	है या करने के लिए उकसाता है, तो संबंधित जिले के उप निदेशक, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, द्वारा अधिरोपित की जाने वाली बीस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा। द्वितीय या पश्चात्वर्ती उल्लंघन के मामले में, व्यक्ति एक लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा। (2) किसी शास्ति के अधिरोपण से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसी शास्ति के अधिरोपण की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है। महानिदेशक, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग इस प्रयोजन के लिए अपील प्राधिकारी होगा। अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई करने की अपनी शक्ति विभाग के किसी भी अधिकारी, जो संयुक्त निदेशक की पदवी से नीचे का न हो, को प्रत्यायोजित कर सकता है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, अपील प्राधिकारी द्वारा तीस दिन के भीतर अपील विनिश्चित की जाएगी। "।
30	2003	6	हरियणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	1. धारा 53 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "(2) उपधारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, यदि राज्य सरकार का कोई अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ब्योरे को प्रकट करता है, तो वह आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाने वाली ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी। व्याख्या.— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, आयुक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज, जो आयुक्त की राय में विषय—वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है और हाजिर होने के लिए बाध्य कर सकता है और यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि संबंधित अधिकारी ने उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जैसी वह उचित समझे: परन्तु ऐसी कोई भी शास्ति संबंधित अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी।"। 2. धारा 53 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— "53क. अपील.— (1) धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर अपील कर सकता है: परन्तु अपील प्राधिकारी साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता को नियत अवधि के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था। (2) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

				(3) उपधारा (1) के अधीन अपील का निपटान अपील दायर करने की तिथि से एक सौ अस्सी (180) दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।"।
31.	2008	7	हरियाणा निष्क्रांत सम्पत्ति (प्रबन्धन तथा निपटान) अधिनियम, 2008	धारा 13 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "13. शास्तियां.— कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी को किसी भी रीति में मिथ्या, असत्य या गलत जानकारी या दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो बीस हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी: परन्तु इस धारा के अधीन किसी शास्ति का अधिरोपण, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभियोजन के लिए वर्जन नहीं होगा।"।
32	2008	31	हरियाणा भूमिगत पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2008	धारा 16 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "16. शास्तियां.— (1) जो कोई भी धारा 5, 6 या 7 के अधीन प्राधिकृत कार्यों में से किसी कार्य को करने से जानबूझकर रोकता है या धारा 5 के अधीन जानबूझकर किसी खाई को भरता है, नष्ट करता है, क्षित पहुंचाता है अथवा लगाए गए निशान का स्थान बदलता है या धारा 8 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन वर्जित कोई बात जानबूझकर करता है, तो वह पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा तथा पश्चातवर्ती उल्लंघन के मामले में, अधिरोपित शास्ति, प्रथम उल्लंघन के लिए अधिरोपित शास्ति की दुगुना होगी। (2) जो कोई भी बिछाई गई किसी भूमिगत पाइपलाइन को जानबूझकर हटाता है, उसका स्थान बदलता है, क्षित पहुंचाता है या नष्ट करता है, तो क्षित के लिए मुल्यांकित राशि के भुगतान सहित दस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा और पश्चात्वर्ती उल्लंघन के मामले में, अधिरोपित शास्ति, प्रथम उल्लंघन के लिए अधिरोपित शास्ति की दुगुना होगी।"।
33	2008	38	हरियाणा सम्पत्ति व्यवहारी तथा परामर्शदाता विनियमन अधिनियम, 2008	धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "17. शास्तियां.— (1) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, तो वह पचास हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा तथा पश्चातवर्ती उल्लंघन के मामले में, अधिरोपित शास्ति, प्रथम उल्लंघन के लिए अधिरोपित शास्ति की दुगुना होगी। (2) इस अधिनियम के अधीन वैध अनुज्ञप्ति के बिना, सम्पत्ति व्यवहार या सम्पत्ति परामर्शी कारबार में लिप्त पाया जाने वाला कोई व्यक्ति या कंपनी या सोसाइटी, व्यक्तिगत मामलें में, पचास हजार रुपए या सोसाइटी, कम्पनी या किसी संगठन के मामले में, एक लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा तथा इस प्रकार प्राप्त सभी लाभांशों तथा सम्पत्ति व्यवहार के दौरान, जिसके लिए किसी पक्षकार द्वारा व्यवहार के संबंध में कमीशन का भुगतान किया गया है, प्रभावित पक्षकार द्वारा सहन की गई क्षतियों का भुगतान

				करने के लिए भी दायी होगा। पश्चातवर्ती उल्लंघन के मामलें में, अधिरोपित शास्ति, प्रथम उल्लंघन के लिए अधिरोपित शास्ति की दुगुना होगी।"।
34	2008	26	पंड़ित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक अधिनियम, 2008	1. धारा 5 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "(2) उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, तथा पश्चातवर्ती उल्लंघन के मामले में, सक्षम प्राधिकरणों तथा शिक्षा निकायों जैसे कि सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा दिशा—निर्देशों के दृष्टिगत इस संबंध में अधिकधित विनियमों के अनुसार पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी।"। 2. धारा 5 के बाद, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:— "5क. न्यायनिर्णयन.— (1) सरकार, शास्तियों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, अधिकारिता रखने वाले उपायुक्त को जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए ऐसी रीतिं, जो विनिर्दिष्ट की जाए, में न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकती है। (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच के लिए उपयोगी या विषय—वस्तु से सुसंगत हो, प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है और उसे हाजिर होने के लिए बाध्य कर सकता है और यदि ऐसी जांच पर उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि संबंधित व्यक्ति धारा ६ के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है, तो वह शास्ति अधिरोपित कर सकता है: परन्तु ऐसी कोई शास्ति संबंधित व्यक्ति छो सुनवाई का युक्तियुक्त अयसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी। 5ख. अपील .—(1) धारा 5क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इस निमित्त सरकार या प्रशासन द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अपील प्राधिकारी की अधिकारिता रखने वाले मण्डल आयुक्त के समक्ष, आदेश प्राप्ति की तिथि से साठ दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति, जो विनिर्दिष्ट की जाए, में अपील कर सकता है। (2) कोई अपील साठ दिन की अवधि की समाप्ति के बाद भी स्वीकार की जा सकती है, यदि अपीलकर्ता, अपील कर सकता है। (3) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे। (4) उपधारा (1) के अधीन अपील का निपटान अपील दायर करने की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर करने की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर करने की साठ पत्र की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर करने की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर करने की तिथि से साठ दिन

35	2009	6	हरियाणा भूमिगत जल परिरक्षण अधिनियम, 2009	धारा ७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "शास्तियां.—(1) कोई भी कृषक, जो इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध की उल्लंघना करता है, तो वह भूमि के प्रति हेक्टेयर प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए पच्चीस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा। यदि कृषक शास्ति का भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसे दो वर्ष की अवधि के लिए विभागीय स्कीमों का लाभ प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति, अधिसूचित तिथि से पूर्व बोई गई या प्रतिरोपित धान की नर्सरी को नष्ट करने के लिए वास्तविक रूप से उपगत खर्चों की वसूली के अतिरिक्त होगी। (3) उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश को पारित करने से पूर्व, प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच करेगा, जो वह आवश्यक समझे तथा संबंधित कृषक को सुनवाई का अवसर देगा।
36	2010	12	हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्त्रा देवी तथा श्री केदार नाथ पूजास्थल अधिनियम, 2009	1. धारा 33 के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "(ख) इस अधिनियम के अधीन मांगी गई किसी रिर्पोट, विवरण, लेखे या अन्य जानकारी देने से इंकार करता है अथवा जानबूझकर देने में असफल रहता है, तो प्रत्येक ऐसी इंकारी या असफलता के लिए, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी।"। 2. धारा 34 के खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "(ग) पूजास्थल की किसी संपत्ति, दस्तावेज अथवा लेखा बहियों को गलत ढ़ंग से हटाता है, नष्ट करता है या विकृत करता है, तो ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी।"।
37	2014	6	हरियाणा नैदानिक स्थापना (पंजीकरण तथा विनियमन) अधिनियम, 2014	 धारा 36 में,— (i) उपधारा (2) में, "जुर्माने" शब्द के स्थान पर, "शास्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

				रुपए, जो भी कम हो, तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ii) उपधारा (3) में, "जुर्माने जो एक लाख रुपए तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा" शब्दों और चिह्न के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (iii) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्— "(4) जो कोई भी इस अधिनियम द्वारा या के अधीन आपूर्ति के लिए अपेक्षित किसी सूचना को जानबूझकर रोकता है या ऐसी सूचना देता है, जो वह जानता है कि झूठी है या जिस पर उसे सत्य होने का विश्वास नहीं है, तो ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी।"; (iv) उपधारा (5) में, "कोई जुर्माना" शब्दों के स्थान पर, "शास्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; (v) उपधारा (7) में, "जुर्माने जो दस हजार रुपए तक का हो सकता है, से दण्डनीय होगा" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "तो ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
38	2016	27	पंड़ित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल, अधिनियम, 2016	1. धारा 5 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "(2) उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी तथा पश्चात्वर्ती उल्लंघन के मामले में, सक्षम प्राधिकरणों तथा शिक्षा निकायों जैसे कि सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा दिशानिर्देशों के दृष्टिगत इस संबंध में अधिकथित विनियमों के अनुसार पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी।"। 2. धारा 5 के बाद, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:— "5क. न्यायनिर्णयन.— (1) सरकार, शास्तियों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, अधिकारिता रखने वाले उपायुक्त को जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए ऐसी रीति, जो विनिर्देष्ट की जाए, में न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकती है। (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच के लिए उपयोगी या विषय—वस्तु से सुसंगत हो, प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है और उसे हाजिर होने के लिए बाध्य कर सकता है और यदि ऐसी जांच पर उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि संबंधित व्यक्ति धारा 6 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है, तो वह शास्ति अधिरोपित कर सकता है:

				परन्तु ऐसी कोई शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी।
				5ख. अपील.— (1) धारा 5क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इस निमित्त सरकार या प्रशासन द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अपील प्राधिकारी की अधिकारिता रखने वाले मण्डल आयुक्त के समक्ष, आदेश प्राप्ति की तिथि से साठ दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति, जो विनिर्दिष्ट की जाए, में अपील कर सकता है।
				(2) कोई अपील साठ दिन की अवधि की समाप्ति के बाद भी स्वीकार की जा सकती है, यदि अपीलकर्ता, अपील प्राधिकारी की सन्तुष्टि कर दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था।
				(3) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।
				(4) उपधारा (1) के अधीन अपील का निपटान अपील दायर करने की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।"।
39	2017	3	हरियाणा नर्स तथा नर्स—सेविका अधिनियम, 2017	1. धारा 32 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "(2) जो कोई भी उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी।"। 2. धारा 32 के बाद, निम्नलिखित धाराएँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:— "32क. न्यायनिर्णयन.— (1) सरकार, शास्तियों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, अधिकारिता रखने वाले उप मण्डल मजिस्ट्रेट को जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकती है। (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच के लिए उपयोगी या विषय—वस्तु से सुसंगत हो, प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है और उसे हाजिर होने के लिए बाध्य कर सकता है और यदि ऐसी जांच पर उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि संबंधित व्यक्ति धारा 32 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है, तो वह शास्ति अधिरोपित कर सकता है: परन्तु ऐसी कोई शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी। 32ख. अपील.— (1) धारा 32क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई
				भी व्यक्ति, इस निमित्त सरकार या प्रशासन द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अपील प्राधिकारी की अधिकारिता रखने वाले उपायुक्त के समक्ष, आदेश प्राप्ति की तिथि से साठ दिन के भीतर, अपील कर सकता है:

				परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता को नियत अविध के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था। (2) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे। (3) उपधारा (1) के अधीन अपील का निपटान अपील दायर करने की तिथि से साठ दिन की अविध के भीतर किया जाएगा।"।
40.	2019	17	हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन) अधिनियम, 2019	1. धारा 26 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "26. धारा 16 और 17 के उल्लंघन के लिए शास्तियां.— (1) कोई भी व्यक्ति जो धारा 16 और धारा 17 में दिए गए उपबन्धों की उल्लंघना में किसी कार्य को करता है या करने के लिए उकसाता है, संबंधित जिले के उप निदेशक, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, द्वारा अधिरोपित की जाने वाली बीस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा। द्वितीय या पश्चात्वर्ती उल्लंघन के मामले में, व्यक्ति एक लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा। (2) किसी शास्ति के अधिरोपण से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसी शास्ति के अधिरोपण की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है। महानिदेशक, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग इस प्रयोजन के लिए अपील प्राधिकारी होगा। अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई करने की अपनी शक्ति विभाग के किसी भी अधिकारी, जो संयुक्त निदेशक की पदवी से नीचे का न हो, को प्रत्यायोजित कर सकता है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, अपील प्राधिकारी द्वारा तीस दिन के भीतर अपील विनिश्चत की जाएगी।"। 2. धारा 27 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "27. शास्तियां— (1) कोई भी व्यक्ति जो धारा 16 और धारा 17 से अन्यथा धाराओं में निहित उपबन्धों की उल्लंघन में किसी कार्य को करता है या करने के लिए उकसाता है, संबंधित जिले के उप निदेशक, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, द्वारा अधिरोपित की जाने वाली एक लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा। द्वितीय या पश्चात्वर्ती उल्लंघन के मामले में, व्यक्ति दो लाख रुपए की शास्ति के अधिरोपण से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसी शास्ति के अधिरोपण से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसी शास्ति के अधिरोपण की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है। महानिदेशक, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग इस प्रयोजन के लिए अपील प्राधिकारी होगा। अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई करने की अपनी शक्ति विभाग के किसी भी अधिकारी, जो संयुक्त निदेशक की पदवी से नीचे का न हो, को प्रत्यायोजित कर सकता है। अपीलार्थी की सुनवाई कर कर सकता है। अपीलार्थी की सुनवाई कर कर सकता है। अपीलार्थी की सुनवाई का अवसर प्रवान कर सकता है। अपीलार्थी का सुनवाई कर सकता है। अपीलार्थी का सुनवाई कर सकता है। अपीलार्थी

				के बाद, अपील प्राधिकारी द्वारा तीस दिन के भीतर अपील विनिश्चित की जाएगी ।"।
41	2022	14	हरियाणा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022	1. धारा 25 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "25. धारा 12 की उल्लंघना हेतु शास्तियां— जो कोई भी, इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध की गई किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 12 की उपधारा (1) के उपबन्धों की उल्लंघना करता है, तो निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी। पश्चात्वर्ती उल्लंघन के मामले में, अधिरोपित शास्ति, प्रथम उल्लंघन पर अधिरोपित शास्ति की दुगुना होगी।"। 2. धारा 29 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "29. मिथ्या रिपोर्ट.— कोई भी व्यक्ति, जो कथन, संदेश या अन्यथा के माध्यम से जानबूझकर आग लगाने की मिथ्या रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देता है या दिलवाता है, तो निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दस हजार रुपए तक की हो सकगी। पश्चात्वर्ती उल्लंघन के मामले में, अधिरोपित शास्ति, प्रथम उल्लंघन पर अधिरोपित शास्ति की दुगुना होगी।"।
42.	2024	12	हरियाणा निजी कोचिंग सस्थानों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024	धारा 10 के स्थान पर, निम्निलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— "10. शास्ति.—इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए दिशा—िनर्देशों के किसी भी उपबन्ध की उल्लंघना के मामले में, निजी कोचिंग संस्थान, प्रथम उल्लंघना के लिए प्रत्येक ऐसी उल्लंघना हेतु पच्चीस हजार रुपए, पश्चात्वर्ती उल्लंघना के लिए एक लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी तथा यदि उल्लंघना फिर भी जारी रहती है, तो निजी कोचिंग संस्थान का पंजीकरण रदद कर दिया जाएगा। 10क. सक्षम प्राधिकरण तथा अपील प्राधिकरण.—इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण, किसी संस्थान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद धारा 10 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकरण होगा तथा सक्षम प्राधिकरण के ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन गठित अपील प्राधिकरण को ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर दायर की जा सकती है।"।

तृतीय अनुसूची (देखिए धारा 380) सारणी (i)

क्रम संख्या	हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा, उपधारा, खण्ड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकेगा	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकेगा
	1	2	3	4
			रूपए	रूपए
1.	धारा 188	प्रवेश इत्यादि से इंकारी	500	
2.	धारा 191, उपधारा (1)	जलनलों इत्यादि को ऐसी स्थिति में बिछाया जाना जहां उन्हें क्षति पहुंच सकती है या उनका जल प्रदूषित हो सकता है	500	50
3.	धारा 195	नगरपालिका नाली की या नगरपालिका नाली में गिरने वाली नाली की सामग्री के प्रवाह को क्षति पहुंचाना या हस्तक्षेप करना	500	50
4.	धारा 197	जल निस्सारण रहित परिसरों की जल निकासी के लिए अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना	500	500
5.	धारा 198	नाली के बिना नए परिसर बनाना	1000	100
6.	धारा 199	परिसरों के किसी समूह या ब्लाक के लिए जल निकास संकर्मों को बनाए रखने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना	500	50
7.	धारा 200	कतिपय मामलों में निजि नाली को बन्द कर देने या उसका उपयोग सीमित करने के निदेश का अनुपालन न करना	500	50
8.	धारा 201	किसी नाली के स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा उसके प्रयोग के बारे में आयुक्त के आदेश का अनुपालन न करना	500	
9.	धारा 202	मलहवाही और वर्षा जलवाही नालियों को बनाए रखने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना	500	
10.	धारा 203	प्रांगण इत्यादि को पाटने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना	500	
11.	धारा 208, उपधारा (4)	पाइप या नाली को बन्द करने, हटाने या उसकी दिशा बदलने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना	500	50
12.	धारा 215	जल या मलवाही संकर्मों के संबंध में जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किए गए कार्यों का प्रतिषेध करना	500	
13.	धारा 223, उपधारा (3)	पथ इत्यादि नियमित लाईन के बाहर निकले भवन का अनुज्ञा के बिना निर्माण करना	2000	200

क्रम संख्या	हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा, उपधारा, खण्ड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकेगा	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकेगा
	1	2	3	4
			रूपए	रूपए
14.	धारा 228	भवनों को पथ की नियमित लाईन तक आगे बढ़ाने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता	500	50
15.	धारा २३५, उपधारा (1)	पथों इत्यादि पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं का प्रतिषेध	एक मास का कारावास या १००० रूपये या दोनों	100
16.	धारा 235, उपधारा (2)	गलियों पर बाहर की ओर से निकलती हुई संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	500	50
17.	धारा 236, उपधारा (2)	ऐसे बरामदे, छज्जे इत्यादि, जो धारा 236 (1) के अनुसार बनाए गए हैं, को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	500	50
18.	धारा 237	निचली मंजिल के दरवाजे इत्यादि में ऐसा बदलाव करना कि वे बाहर की ओर न खुलें, अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	1000	50
19.	धारा २४६, उपधारा (1)	खतरनाक स्थान की मरम्मत करने, बचाव करने या अहाताबन्दी करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	500	50
20.	धारा 257	गलियों के कोनों पर भवनों को गोलाकार करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	500	50
21.	धारा 258, उपधारा (2)	गली की नियमित लाईन से आगे को निकालने या किसी स्कीम या योजना के उल्लंघन में भवन बनाना या संकर्मी का निष्पादन	1000	
22.	धारा 261	मंजूरी के बिना बनाये गए भवनों को तोड़ने में असफलता या आदेश का उल्लंघन करके भवन बनाना	2000	200
23.	धारा 262	मंजूरी की शर्तों इत्यादि के उल्लंघन में भवन बनाना	2000	200
24.	धारा 263	परिर्वतन करने में असफलता	2000	
25.	धारा 264, उपधारा (1) और (2)	समापन प्रमाण–पत्रों का अनुपालन न करना, अनुज्ञा के बिना अधिभोग या प्रयोग इत्यादि	500	50
26.	धारा २६५, उपधारा (1)	भवनों के प्रयोग पर निर्बन्धनों का अनुपालन न करना	1000	100
27.	धारा 265, उपधारा (2) और (3)	खण्डहर हो चुकी या गिरने वाली संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	2000	200

क्रम संख्या	हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा, उपधारा, खण्ड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकेगा	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकेगा
	1	2	3	4
			रूपए	रूपए
28.	धारा २६६, उपधारा (1)	खतरनाक स्थिति इत्यादि वाले भवनों को खाली करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	1000	100
29.	धारा 281, उपधारा (2)	अति भिड़े वाले भवनों को हटाने की अध्यपेक्षा अनुपालन में असफलता	1000	100
30.	धारा 282	मानव–निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों के सुधार करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	1000	
31.	धारा 284, उपधारा (1), (2), (3) और (4)	मानव—निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों को तोड़ने के आदेश के अनुपालन में असफलता	2000	200
32.	धारा 289	भवनों या वस्तुओं की सफाई करने और उनके विसंक्रामण की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	500	
33.	धारा 302	संक्रमित शवों को इस धारा के उपबंधों के उल्लंधन में हटाना	500	
34.	धारा 305	नए शमशान या कब्रिस्तानों का अनुज्ञा के बिना उपयोग करना	500	
35.	धारा ३०६, उपधारा (1)	शमशान या कब्रिस्तान बंद करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	500	_
36.	धारा ३०६, उपधारा (२)	किसी शमशान या कब्रिस्तान को बंद करने के पश्चात् उसमें शवों को जलाना या दफनाना	500	_
37.	धारा 307	विहित मार्गों से भिन्न मार्गों से शवों को ले जाना	500	
38.	धारा 309, उपधारा (1), (2) और (3)	उपद्रव करना	500	
39.	धारा 310	उपद्रव को हटाने या उपशमन के लिए अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	500	50
40.	धारा 311, उपधारा (4)	कुत्तों को जंजीर से बांधे बिना पथ में खुला घूमने न देना	500	
41.	धारा 311, उपधारा (5)	हिंसक कुत्ते को मुखबंध इत्यादि लगाये बिना खुला घूमने देना	500	
42.	धारा 312	प्रतिषेध के उल्लंघन में ज्वनशील सामग्री का ढेर लगाना	5000	
43.	धारा 314	ऐसी आतिशबाजी, अग्नयायुध, इत्यादि छोड़ना जिनसे खतरा उत्पन्न होना सम्भाव्य है	500	

क्रम संख्या	हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा, उपधारा, खण्ड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकेगा	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकेगा
	1	2	3	4
			रूपए	रूपए
44.	धारा 315	भवनों, कुओं, इत्यादि को सुरक्षित करने की अध्यपेक्षा करने के अनुपालन में असफलता	500	
45.	धारा 316	अनुचित प्रयोजनों के लिए भूमि उपयोग घेरा लगाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	500	
46.	धारा 322, उपधारा (1)	स्थानों का निजि बाजारों के रूप में अनुज्ञप्ति के बिना उपयोग करना और नगरपालिका वधशाला से भिन्न स्थानों का वधशालाओं के रूप में उपयोग करना	500	50
47.	धारा 322, उपधारा (2) परन्तुक (क)	आयुक्त द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन न करना	500	
48.	धारा 329	बिना अनुज्ञप्ति के बुचड, मच्छी व्यापार या पोल्ट्री व्यापार करना	500	50
49.	धारा 331	अनुज्ञप्ति इत्यादि के बिना कतिपय वस्तुएं नहीं रखी जाएंगी और कतिपय व्यापार और संक्रियाएं जारी नहीं रखी जाएंगी	500	100
50.	धारा ३३३, उपधारा (५)	घोषणा के उल्लंघन में परिसरों का उपयोग	500	
51.	धारा 353	आयुक्त या उस द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रवेश इत्यादि संबंधी उसकी शक्ति का प्रयोग करने से रोकना	500	100
52.	धारा 354	आयुक्त या उसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किसी साथ लगती अन्य भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति का प्रयोग करने से रोकना	500	
53.	धारा 359	संकर्म के निष्पादन में बाधा डालना या परेशानी पैदा करना	500	
54.	धारा ३६६, उपधारा (४)	परिसरों के स्वामियों के नाम और पते बताने की अपेक्षा के अनुपालन में असफल रहना	500	
55.	धारा ३७५ उपधारा (३)	जिला न्यायाधीश के आदेशों के जारी होने से आठ दिन के बाद, आदेश के उपबंधों के अनुपालन या भूमि या निर्माण के अधिभोगी के स्वामी को सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहना	500	50
56.	धारा 405	महापौर या किसी अन्य नगर निगम प्राधिकरण इत्यादि के कार्यों में बाधा डालना	500	

क्रम संख्या	हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा, उपधारा, खण्ड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकेगा	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकेगा
	1	2	3	4
			रूपए	रूपए
57.	धारा 406	तल इत्यादि को सूचित करने हेतु स्थापित किसी चिह्न को हटाना	500	_
58.	धारा 407	निगम आयुक्त इत्यादि के आदेश द्वारा या के अधीन दर्शित किसी नोटिस (सूचना पट्ट) इत्यादि को हटाना	500	
59.	धारा 408	निगम में निहित किसी भूमि से विधिविरूद्ध मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री का हटाना अथवा किसी सामग्री को जमा करना या अनधिकार प्रवेश करना	500	

सारणी (ii)

क्रम संख्या	हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा, उपधारा, खण्ड या परन्तुक	विषय	शास्ति जो अधिरोपित की जा सकेगी	दैनिक शास्ति जो अधिरोपित की जा सकेगी
	1	2	3	4
			रूपए	रूपए
1.	धारा 101, उपधारा (1) और (2)	भूमि या भवन के अन्तरण या हस्तान्तरण की सूचना देने में असफलता	500	50
2.	धारा 101, उपधारा (3)	अन्तरण की लिखत पेश करने में असफलता	500	50
3.	धारा 102	नया भवन, इत्यादि बनाने की सूचना देने में असफलता	500	
4.	धारा 103	भवन तोड़ने या हटाने की सूचना देने में असफलता	500	50
5.	धारा 104	जानकारी इत्यादि देने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता	500	
6.	धारा 108, उपधारा (2)	मूल्यांककों को जानबूझकर विलंब कराना या बाधित करना	500	
7.	धारा 122	अनुज्ञा के बिना विज्ञापन का प्रतिषेध	500	50
8.	धारा 142, उपधारा (2)	आयुक्त के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना	500	
9.	धारा 145	दायित्व प्रकट करने में असफलता	500	
10.	धारा 180	नोटिस देने में असफलता	500	
11.	धारा 182	जल आपूर्ति की व्यवस्था किए बिना नए परिसरों को अधिभोग में लेने का प्रतिषेध	500	50

क्रम संख्या	हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा, उपधारा, खण्ड या परन्तुक	विषय	शास्ति जो अधिरोपित की जा सकेगी	दैनिक शास्ति जो अधिरोपित की जा सकेगी
	1	2	3	4
			रूपए	रूपए
12.	धारा 191, उपधारा (2)	शौचालयों इत्यादि का ऐसी स्थिति में निर्माण करना जहां पाइपों को क्षति पहुंच सकती है या उनका जल दूषित हो सकता है	500	50
13.	धारा 196, उपधारा (2)	निजी नाली को नगरपलिका नाली के साथ नोटिस के बिना जोड़ा नहीं जाना	500	50
14.	धारा 205	लिखत अनुज्ञा के बिना नगरपालिका जल संकर्म का नालियों से कनैक्शन	500	50
15.	धारा २१४, उपधारा (१)	अनुज्ञप्त नलसाज से भिन्न व्यक्ति द्वारा संकर्म का निष्पादन	500	
16.	धारा २१४, उपधारा (२)	नियोजित किए गए अनुज्ञप्त नलसाज का नाम देने की अपेक्षा किए जाने पर नाम न देना	500	
17.	धारा २१४, उपधारा (६)	अनुज्ञप्त नलसाजों द्वारा विहित प्रभारों से अधिक प्रभार न मांगा जाना	500	
18.	धारा २१४, उपधारा (८)	अनुज्ञप्त नलसाज उपविधियों का उल्लंघन नहीं करेंगे या संकर्मों का निष्पादन इत्यादि असावधानी से या उपेक्षा पूर्वक नहीं करेंगे	500	
19.	धारा २३१, उपधारा (५)	निगम के आदेशों की अनुपालन से अन्यथा किसी भूमि का उपयोग करना, विक्रय करना या उसके बारे में अन्यथा कार्यवाही करना या निजी पथ की व्यवस्था करना	500	50
20.	धारा 232, उपधारा (1) खण्ड (क) और खण्ड (ख)	गली में बदलाव के लिए हेतुक दर्शित करने की या आयुक्त के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	500	50
21.	धारा २३३, उपधारा (1)	निजी पथ या उससे लगी हुई भूमि या भवन के स्वामी से ऐसे पथ को समतल करने, इत्यादि की अध्यपेक्षा के अनुपालन में उसकी असफलता	500	50
22.	धारा २३८, उपधारा (1)	ऐसी संरचनाओं या फिक्सचरों का निर्माण, इत्यादि जो पथों में बाधा डालते हैं	1000	100
23.	धारा 238, उपधारा (2)	गलियों में वस्तुओं का जमा करना इत्यादि	500	
24.	धारा 241, उपधारा (1) और (2)	सार्वजनिक गलियों में जीव जन्तुओं को बांधना और पशुओं को दुहना	500	

क्रम संख्या	हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा, उपधारा, खण्ड या परन्तुक	विषय	शास्ति जो अधिरोपित की जा सकेगी	दैनिक शास्ति जो अधिरोपित की जा सकेगी
	1	2	3	4
			रूपए	रूपए
25.	धारा २४२, उपधारा (४)	रोक या तख्ताबंदी इत्यादि को विधि विरूद्ध हटाना या प्रकाश का हटाना या बुझाना	500	
26.	धारा २४३, उपधारा (1)	अनुज्ञा के बिना पथों का खोदना या तोड़ना और इन पर अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण सामग्री जमा करना	500	50
27.	धारा २४५, उपधारा (२)	गली का नाम और गृह संख्यांक नष्ट या विरूपित, इत्यादि न करना	500	_
28.	धारा २४८, उपधारा (1)	लैम्पों का हटाना इत्यादि	500	
29.	धारा २४८, उपधारा (२)	सार्वजनिक गलियों इत्यादि के प्रकाश को जानबूझकर और उपेक्षापूर्वक बुझाना	500	
30.	धारा 250	आयुक्त की मंजूरी के बिना भवन बनाना	5000	500
31.	धारा २५१, उपधारा (१)	भवन बनाने के आशय की सूचना देने में असफलता	500	
32.	धारा 252	भवनो में परिवर्धन इत्यादि करने के आशय की सूचना देने में असफलता	500	50
33.	धारा २५५, उपधारा (४)	सूचना इत्यादि के बिना संकर्म का प्रारम्भ	2000	200
34.	धारा २५८, उपधारा (1)	नई गलियों को समतल किए बिना भवनों का बनाया जाना	1000	50
35.	धारा 260	ज्वलनशील सामग्री का अनुज्ञा के बिना प्रयोग	1000	
36.	धारा 271	कूड़े इत्यादि के संग्रहण, हटाने और जमा करने के लिए व्यवस्था करने और कूड़ेदानों की व्यवस्था करने में असफलता	500	50
37.	धारा 272	बाजार इत्यादि के रूप में उपयोग परिसरों से कूड़ा इत्यादि हटाने के लिए अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	500	
38.	धारा २७७, उपधारा (1)	कूड़ा और गंदगी इत्यादि चौबीस घंटों से अधिक समय तक रखना	500	50
39.	धारा २७७, उपधारा (२)	गंदगी को गली पर जाने देना	500	50
40.	धारा २७७, उपधारा (३)	कूड़ा या गंदगी इत्यादि को गली इत्यादि में जमा किया जाना	500	
41.	धारा २७५, उपधारा (1)	शौचालय और मूत्रालय अनुज्ञा के बिना या विहित निर्बंधनों का उल्लंघन करके निर्मित नहीं किये जाएंगे	500	

क्रम संख्या	हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा, उपधारा, खण्ड या परन्तुक	विषय	शास्ति जो अधिरोपित की जा सकेगी	दैनिक शास्ति जो अधिरोपित की जा सकेगी
	1	2	3	4
			रूपए	रूपए
42.	धारा २७७, उपधारा (1)	नवनिर्मित या पुनः निर्मित भवनों में शौचालय, मूत्रालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता	1000	100
43.	धारा २७७, उपधारा (३)	पृथक वासगृहों वाले आवास भवनों में पहली मंजिल पर सेवकों के लिये शौचालय, स्नान करने या धोने की व्यवस्था करने में असफलता	500	
44.	धारा 278	बहुत व्यक्तियों के उपयोग परिसरों में शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित स्थिति में रखने में असफलता	500	50
45.	धारा 279	शौचालय या मूत्रालय इत्यादि के उपबंध का पालन करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	500	50
46.	धारा २८०, खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ)	शौचालय या मूत्रालय के लिए स्थान संबंधी उपबंध का पालन करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	500	50
47.	धारा 285	अस्वच्छ झोंपड़ियों और शैडों इत्यादि को हटाने की आयुक्त की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	500	50
48.	धारा २८६, उपधारा (1)	धोबी द्वारा धुलाई की बाबत प्रतिषेध	500	
49.	धारा 287	खतरनाक रोग की जानकारी देने में असफलता	500	
50.	धारा 290	संक्रामित झोंपड़ियों या शैड़ों को नष्ट करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	500	
51.	धारा 291	किसी ऐसे स्थान में जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित नहीं है, कपड़ों, बिस्तरों इत्यादि की धुलाई	500	
52.	धारा २९३, उपधारा (1)	संक्रमित कपड़े धोबी या लांडरी को भेजना	500	
53.	धारा २९३, उपधारा (२)	जिस धोबी या लांडरी को कपड़े भेजे गए हैं उसका पता देने में असफलता	500	
54.	धारा 294, उपधारा (1), (2) और (3)	खतरनाक रोग इत्यादि से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग	500	
55.	धारा 296	भवनों का भाटक पर देने से पूर्व उनका विसंक्रामण करने में असफलता	500	
56.	धारा 297	संक्रामित वस्तुओं का विसंक्रामण किये बिना व्ययन	500	

क्रम संख्या	हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा, उपधारा, खण्ड या परन्तुक	विषय	शास्ति जो अधिरोपित की जा सकेगी	दैनिक शास्ति जो अधिरोपित की जा सकेगी
	1	2	3	4
			रूपए	रूपए
57.	धारा 298	संक्रामित व्यक्तियों द्वारा भोजन बनाना या विक्रय करना या कपड़े धोना	500	
58.	धारा 299	आयुक्त द्वारा लगाए निर्बंधन या प्रतिषेध के उल्लंघन में खाद्य या पेय का विक्रय	500	
59.	धारा 300	आयुक्त के प्रतिषेध के उल्लंघन में कूओं और तालाबों से जल ले लाना और उसका प्रयोग	500	
60.	धारा 301	किसी खतरनाक रोग, इत्यादि से पीड़ित व्यक्ति की उपस्थिति या आचरण से व्यक्तियों को संक्रमण को जोखिम में डालना	500	
61.	धारा ३०३, उपधारा (1)	सूचना के बिना झाड़ कशों इत्यादि की कर्तच्य से अनुपस्थिति	1000	
62.	धारा 304	शमशान या कब्रिस्तानों के भारसाधक व्यक्तियों को जानकारी देने में असफलता	500	
63.	धारा ३०८, उपधारा (1) खण्ड (ख)	मृत पशुओं के शवों को हटाने की सूचना में असफलता	500	
64.	धारा 313	खुली बत्ती रखना	500	
65.	धारा ३२०, उपधारा (1)	नगरपालिका बाजारों में अनुज्ञा के बिना विक्रय करना	500	
66.	धारा 324	अनुज्ञप्ति इत्यादि के बिना बाजार चलाना	2000	
67.	धारा 325	अननुज्ञप्त बाजार में विक्रय	500	
68.	धारा 326	बाजार के समीप कारबार या व्यापार चलाना	500	
69.	धारा ३३२, उपधारा (३)	पशुाओं आदि का रखना, छोड़ना अथवा बांधना	300 जो 2000 तक का हो सकेगा	100
70.	धारा 334	अनुज्ञप्ति इत्यादि के बिना फेरी लगाकर वस्तुओं का विक्रय करना	500	

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भारत सरकार ने 'जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) अधिनियम, 2023' अधिनियमित किया, जिसकी 11 अगस्त 2023 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम ने 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 उपबंधों को अपराधमुक्त कर दिया, जो विभिन्न अधिनियमों में छोटे अपराधों को व्यवस्थित रूप से अपराधमुक्त करने वाला पहला समेकित कानून है।

अगस्त 2025 में, भारत सरकार ने 'जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) अधिनियम, 2023' की सफलता के बाद लोकसभा में 'जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) विधेयक, 2025' पेश किया, जिसमें 10 मंत्रालयों विभागों द्वारा प्रशासित 16 केंद्रीय अधिनियम शामिल हैं। कुल 355 उपबंधों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें से 288 उपबंधों को व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और 67 उपबंधों में 'व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संशोधन का प्रस्ताव किया गया, जिसमें छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया और कई कानूनों में कारावास के उपबंधों को मौद्रिक दंड से बदल दिया गया। इस अधिनियम ने प्रवर्तन-आधारित शासन से विश्वास-आधारित शासन की ओर एक बड़ा बदलाव किया। इसके अलावा, भारत सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य स्तर पर छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए जन विश्वास अधिनियम, 2023 में बताई गई रणनीति की समीक्षा करने और उसे अपनाने की सलाह दी है। हिरयाणा जन विश्वास बिल, 2025' पेश करना चौथी चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस के मुख्य एक्शन आइटम में से एक है और भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के चल रहे कंप्लायंस कम करने और डीरेगुलेशन एक्सरसाइज के तहत एक महत्वपूर्ण प्रायोरिटी एरिया है।

हरियाणा जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) विधेयक, 2025' को 17 विभागों के 42 राज्य कानूनों में 164 छोटे आपराधिक उपबंधों को कम करने के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें पुराने और बेकार क्लॉज को हटाया जाएगा, छोटी तकनीकी और प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए सिविल पेनल्टी और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी, और दंडात्मक उपबंधों को खत्म करके छोटे और तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा।

हरियाणा जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) विधेयक, 2025 का मकसद निम्नलिखित उद्देश्यों को हासिल करना है:

भरोसे पर आधारित गवर्नेंस और रेगुलेशन का बोझ कम करनाः

इसका मूल विचार यह है कि लोकतांत्रिक गवर्नेंस नागरिकों और संस्थानों पर भरोसा करने पर आधारित होनी चाहिए। समय के साथ, पुराने नियमों और छोटे-मोटे कंप्लायंस की जिम्मेदारियों के एक जटिल जाल ने अविश्वास और अक्षमता पैदा कर दी थी। इस बिल का मकसद कंप्लायंस की जिम्मेदारियों को आसान बनाकर, डिजिटाइज करके और तर्कसंगत बनाकर इस बोझ को कम करना है।

2. "ईज ऑफ लिविंग" और "ईज ऑफ इ्इंग बिजनेस" सुधार

यह बिल सरकार के ''न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'' के बड़े एजेंडे के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मकसद रेगुलेटरी सिस्टम को फिर से आकार देना है ताकि नागरिकों और व्यवसायों को कम प्रक्रियात्मक बाधाओं का सामना करना पड़े।

3. छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना

कई कानून अभी भी छोटे, तकनीकी, या प्रक्रियात्मक गलितयों के लिए जेल या कड़ी आपराधिक सजा देते हैं। ऐसे उपाय पालन को बढ़ावा देने के बजाय उसे रोकते हैं, और अदालतों पर बेवजह दबाव डालते हैं। यह बिल इनमें से कई उपबंधों को मौद्रिक दंड या चेतावनी में बदलकर उन्हें तर्कसंगत बनाने की कोशिश करता है, खासकर पहली बार या अनजाने में किए गए उल्लंघनों के लिए। साथ ही, यह बिल राज्य कानूनों के तहत उन अपराधों के संबंध में अपराध की श्रेणी से हटाने से बचता है जो गंभीर प्रकृति के हैं या सार्वजनिक सुरक्षा, व्यवस्था या सुशासन के हित में बनाए रखना जरूरी हैं।

कोर्ट के बजाय प्रशासनिक समाधान

यह बिल ज्यादातर उल्लंघनों को कोर्ट जाए बिना, प्रशासनिक फैसले, समझौता या चेतावनी के जिरए सुलझाने पर फोकस करता है। इससे समय बचेगा, लागत कम होगी और न्यायपालिका पर बोझ कम होगा। यह भी पक्का करता है कि प्रस्तावित संशोधनों में एक सक्षम अथॉरिटी को साफ तौर पर तय किया जाए ताकि जहां भी जुर्माने की जगह पेनल्टी लगाई गई है, वहां उसे लागू किया जा सके।

भारत सरकार के जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के साथ निरंतरता

यह बिल जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत शुरू किए गए सुधारों को आगे बढ़ाता है और गहरा करता है। यह 17 विभागों में 42 राज्य अधिनियमों में 164 उपबंधों को कम करके और अधिक अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने और तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करता है।

दंडों का समय-समय पर संशोधन

रोकथाम बनाए रखने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए, बिल ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया कि जहां भी संभव हो, जुर्माने को दंड में बदला जाए। ऐसे मामलों में, जहां जुर्माना नहीं भरा जाता है, विभाग आपराधिक उपबंधों को लागू करने या दंडों के कंपाउंडिंग को अपनाने पर विचार कर सकता है, जैसा कि उचित समझा जाए।

इसलिए, 'हरियाणा जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) विधेयक, 2025' एक संतुलित और व्यावहारिक कानूनी ढांचा सुनिश्वित करके विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देना चाहता है, जो सजा देने के बजाय सुविधा देने पर जोर देता है। इसका मकसद अनावश्यक आपराधिक उपबंधों को कम करके, अनुपालन को आसान बनाकर और एक पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक माहौल स्थापित करके राज्य में जीवन जीने में आसानी और व्यापार करने में आसानी को बढाना है।

राव नरबीर सिंह, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ः दिनांक 17 दिसम्बर, 2025. राजीव प्रसाद, सचिव।

12288—H.V.S.—H.G.P., Pkl.